उन्नति विचार

वर्ष : 14 अंक : 1 जनवरी-अप्रैल, 2009

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
- धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत्ववाद का संवर्धन

आपके लिए 10
- वंचिततालक्ष्यी विकास से हिंदुत्व तक: गुजरात में अहिंसा की दंतकथा

गतिविधियाँ 22

संदर्भ सामग्री 25

अपने बारे में 33

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र
बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

समावेशी समाज के लिए समाधानकारी अभिगम

हरेक समाज में विविध व्यक्तियों, समूहों, समुदायों एवं स्तरों के बीच अलग-अलग प्रकार के संघर्ष होते रहते हैं। समाज के व्यक्ति जब व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से परस्पर संपर्क में आते हैं तब सहकार एवं संघर्ष दोनों की भूमिका तैयार होती है । समाज में जो श्रेणीगत व्यवस्था एवं स्तरीकरण होता है उसमें इस प्रकार के सहकार एवं संघर्ष स्वाभाविक रूप से जन्म लेते हैं। इन संघर्षों को हल एवं निवारण करने की आवश्यकता हरेक समाज को होती है। जब विभिन्न समूह एवं समुदाय परस्पर पूर्वग्रह एवं तिरस्कार की भूमिका से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवहार करते हैं तब संघर्ष बढ़ते हैं। इन संघर्षों का निवारण पूर्वग्रह एवं तिरस्कार की भावना छोड़कर ही हो सकता है।

इस संदर्भ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं: भूतकाल में जो कुछ हुआ या नहीं हुआ उन तमाम घटनाओं को उचित ठहराने का प्रयास छोड़ देना होगा। दूसरे, विविध मतभेदों एवं संघर्षों के निवारण के उपाय के रूप में बदला लेने की भावना को छोड़ना पड़ेगा। मित्रता से ही शत्रुता मिटती है - मानव धर्म के इस मूलभूत सिद्धांत को स्वीकार किया जाए तो संघर्षों के बदले समाधान की भूमिका तैयार होती है ।

समाधान की ऐसी भूमिका में भी दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक है विकास की प्रक्रिया में समाज के तमाम समुदायों का समावेश। अल्पसंख्यकों सहित समाज के अनेक समुदाय विकास के मुख्य प्रवाह से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया के पीछे विकास के ध्येय एवं व्यूह रचना काम करती है तो दूसरी तरफ रूढ़िग्रस्तता एवं धर्मांधता भी अपना योगदान करती है। समग्र समाज अथवा समाज का भद्र वर्ग जिस तरह समाज के कुछ समुदायों के पिछड़ेपन के लिए जवाबदार होता है उसी तरह समुदायों के सामाजिक झकाव भी जवाबदार होते हैं। इसलिए इन दोनों प्रकार के कारणों को दूर करने के लिए सघन प्रयास करने की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है कुल मिलाकर राजनीतिक परिवेश को समावेशी बनाने की। हरेक समुदाय को राज्य की शासन व्यवस्था में हरेक स्तर पर भागीदार होने का अवसर मिलना चाहिए। ऐसा होने पर ही हरेक समुदाय को ऐसा लगेगा कि राज्य उनका है एवं उनके हित के लिए ही काम करता है।

ऐसी समाधानकारी प्रवृत्तियां दो रूप से हो सकती हैं: व्यक्तिगत एवं सामूहिक। अलग-अलग समुदायों में व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से समाधानकारी प्रवृत्तियां समावेशी समाज एवं संघर्षों के निवारण के लिए तथा भविष्य में होने वाले संघर्षों को रोकने के लिए एवं ऐसे संघर्षों के अहिंसक एवं संवाद लक्ष्यी हल के लिए अनिवार्य है। इनसे सामुदायिक सुरक्षा, सलामती एवं संवाद तथा समावेशी विकास जन्म ले सकता है।

धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत्ववाद का संवर्धन

यह लेख गैर-सरकारी संगठन 'सफर' की निदेशक **सुश्री सोफिया खान** द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद लिए भेजे गए एक केस अध्ययन का अनुवाद है। इस लेख में उन कदमों को दर्शाया गया है जिनसे बहुत्ववाद का समर्थन करके धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। खासकर के प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त सच्चर समिति की सिफारिशों के संदर्भ में यह लेख विशेष मननीय है।

आप सब विद्वानों के समक्ष मुझे मेरे विचार एवं प्रश्न प्रस्तुत करने का महत्त्वपूर्ण अवसर देने के लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूं। मैं 'सफर' नामक संगठन के साथ काम करती हूं। इसका पूरा नाम हैः सोश्यल एक्शन फोरम अगेन्स्ट रिप्रेशन। गुजरात के दंगों के बाद मात्र नागरिक समाज के ही नहीं, परंतु राज्य के गैर-सरकारी संगठनों एवं महिला समूहों ने भी भारी ध्रुवीकरण का अनुभव किया था। हममें से बहुत लोगों के लिए २००२ के गुजरात के दंगे कई तरह से बदलाव के बिंदु बने थे। इस परिषद के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर इस विषय के बारे में मैं मेरी समझ को व्यक्त करूंगी। हम पश्चिम भारत में गुजरात में रहते हैं। भारत के मुसलमानों में असुरक्षा पैदा करने में गुजरात ने घातक भूमिका निभाई है, इसीलिए आज की बातचीत में मैंने गुजरात को केन्द्र में रखा है जो स्वाभाविक ही है।

मेरी प्रस्तुति में दो भाग हैंः प्रथम भाग में मैंने भारतीय बहुत्ववाद के समक्ष खतरों का मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया है एवं दूसरे भाग में मैंने बहुत्ववाद को मजबूत करने की थोड़ी व्यूहरचनाओं को दर्शाने का प्रयास किया है।

भूमिका

लगभग एक दशक पूर्व भारत के नृवंशशास्त्रीय सर्वेक्षण में बताया गया था कि भारत में ४५९९ अलग-अलग समुदाय हैं एवं १२ अलग-अलग भाषा परिवारों में २४ लिपियों के साथ ३२५ अलग-अलग भाषाएं हैं। ये महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारियां हैं एवं भारत में कितना बहुत्ववाद है यह उसकी जानकारी देता है। इससे क्या? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसमें कोई शंका नहीं है परंतु अभी यह स्वीकारना पड़ेगा कि भारत के लोकमानस में धर्म-निरपेक्षता एक दूर का आदर्श रहा है। एवं इस हकीकत से आश्चर्यचकित होने की जरूरत भी नहीं है ।

भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है तमाम धर्म, परंतु वह धर्म एवं राज्य के बीच के संबंधों पर प्रतिबंध नहीं रखता। भारत के संविधान के आमुख में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र प्रयोग किया गया है। इसके बावजूद भारत के संविधान एवं कानून कई ऐसे प्रावधान करते हैं कि जिनसे आलोचनाएं पैदा होती हैं एवं संविधान की धर्मनिरपेक्ष बात पर एवं उसकी प्रतिबद्धता के बारे में शंका जन्म लेती है।

उदाहरण के लिए धारा-२९०ए कई देवस्थानों को वार्षिक भुगतान की व्यवस्था करती है। इसके कारण केरल एवं तामिलनाडु में राज्य के एकत्रित धन में से हिंदू मंदिरों एवं देवस्थानों को धन प्राप्त होता है। इसी तरह, हिंदू अविभक्त कुटुंब को आयकर में लाभ प्राप्त होता है। अथवा जो दो हिंदू व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष कानून 'द स्पेश्यल मेरेज एक्ट' के अंतर्गत विवाह करे तो भी उसे उत्तराधिकार के लिए 'द इंडियन सक्सेशन एक्ट' लागू नहीं पड़ता उसे 'हिंदू सक्सेशन एक्ट' लागू पड़ता है।

यद्यपि, कुल मिलाकर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला देश है जो मानव अधिकारों के गौरव को मान्य रखता है। भारत का संविधान भी तमाम नागरिकों को समान अवसरों एवं अधिकारों की गारंटी देता है। (धारा-१४, १५,१६,१७,१९,२१,२२,२३,२५,२६,२९,३०, ३५०ए)। इसके बावजूद, कई बार समाज के कुछ वर्गों के दावों के अनुसार

रक्षा करने में संविधान निष्फल होता देखा गया है।

किसी भी समाज के लिए विकास का अधिकार एवं शांति का अधिकार एक साथ चलते हैं। इसका अर्थ यह है और यह समझने की जरूरत है कि शांति एवं गौरव तभी संभव है जब तमाम व्यक्तियों एवं समुदायों के समान एवं अविच्छिन्न अधिकारों को नागरिक समाज एवं राज्य द्वारा मान्यता मिले, उनकी रक्षा की जाए एवं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए।

संतुलित रूप से यह कहा जा सकता है कि सभी तरह के कट्टरतावाद समाज के लिए हानिकारक हैं (वे अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक हो सकते हैं)। परंतु अभी यह बात याद रखनी चाहिए कि बहुसंख्यक का कट्टरतावाद अधिक खतरनाक है क्योंकि वह देश का सामाजिक-आर्थिक एवं राजकीय चरित्र बदल देता है। इसका कारण यह है कि ऐसे कट्टरतावादी निर्वाचनगत लोकतंत्र द्वारा शासन करते हैं। इसीलिए अभी इस विषय में काफी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। इस भूमिका को दिमाग में रखकर हम आगे बढ़ते हैं ।

हम किस प्रकार के बहुत्ववाद की बात करते हैं? विचारों, धर्मों, संस्कृतियों, प्रदेशों एवं भाषाओं आदि के समावेश बहुत्ववाद में किए जाते हैं। मैं मानती हूं कि जिस बहुत्ववाद के बारे में हम बात कर रहे हैं वह मानव अधिकारों के स्वीकृत वैश्विक मानदंडों पर आधारित है जिसमें तर्कबद्धता के साथ पूर्वग्रहमुक्त हिमायत एवं तटस्थता के सिद्धांतों का जतन किया जाता है। भारत में बहुत्ववाद को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकताएं एवं तत्संबंधी व्यूहरचनाओं वाली जो परिस्थितियां हैं उन पर विचार करते हैं ।

भारत का सामान्य चित्र

मैंने पहले बताया कि भारत शायद दुनिया का सबसे जटिल एवं सर्वग्राही बहुत्ववादी समाज है। पिछले तीन दशकों के दौरान आक्रमक धार्मिक कट्टरतावाद बढ़ा है एवं उसने भारतीय राज्य के बहुत्ववादी चरित्र के सामने खतरा पैदा किया है।

हर रोज दक्षिणपंथी राजनीतिक दल एवं समूह शर्मनाक रूप से गुजरात-२००२ की पुनरावृत्ति देश के अन्य भागों में करना चाहते हैं। वास्तव में, उन्होंने यह कार्य शुरू भी किया है। गुजरात में जो 'प्रयोग' किया गया है उसका देश के अन्य भागों में पुनरावर्तन हो रहा है। देश भर में अल्पसंख्यकों पर व्यवस्थित एवं नियोजित हमलों की रिपोर्टें आ रही हैं: सूरत एवं भोपाल में अंतरधर्मीय विवाह करने वाले दंपतियों पर हमले हुए, उड़ीसा एवं हिमाचल प्रदेश में ईसाई आदिवासियों एवं दलित मुसलमानों पर रिपोर्ट देने वाले टीवी के कार्यालयों पर हमले हुए, अहमदाबाद में आईआईएम के अध्यक्ष कहते हैं कि जब गुजरात में सीधा विदेशी निवेश हो रहा है तब गोधरा एवं गोधरा के बाद की घटनाओं के बारे में बात करना 'असमंजस वाली सोच' है, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों को लक्ष्य करके सीडी बनाना, मध्य प्रदेश में जबलपुर में ईसाइयों पर हमले हुए, पंजाब में एवं महाराष्ट्र में यौन शिक्षण पर प्रतिबंध लगाया, महाराष्ट्र में पादरियों पर हमला किया, गुजरात में वडोदरा की फाइन आर्ट्स फैकल्टी के विद्यार्थियों एवं डीन पर हमला कराया आदि।

गुजरात के सांप्रदायिक दंगों पर बनी फिल्म 'परजानिया' एवं 'फना' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध भी लगया जबकि भारत के सेन्सर बोर्ड द्वारा उसे इजाजत दी गई थी। 'फना' पर प्रतिबंध लगाने का कारण यह था कि उसने नर्मदा बांध के विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में बात की थी। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों पर जो हमला हुआ था वह नागरिकों के अधिकारों का सरेआम उल्लंघन है। ये क्षेत्रीय पहचान को सामने लाने के लिए करवाए गए थे। देश के कई भागों में 'जोधा अकबर' के सामने विरोध हुआ था जो दर्शाता है कि समाज विक्षुब्ध रूप से असहिष्णु बन रहा है। तस्लीमा नसरीन, सानिया मिर्जा एवं एम.एफ. हुसैन पर सतत भारतीय संस्कृति एवं धर्म की रखवाली के नाम पर हमले होते रहे हैं। भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए भारत की अदालतों में जनहित याचिका दायर करने के उदाहरण भी हैं।

दक्षिणपंथी राजनीतिक दलों के नेता तस्लीमा के लिए वाणी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हिमायत करने में भारी उत्साही होते हैं परंतु जब एम.एफ. हुसैन की बारी आती है तो वे कुशलतापूर्वक चुप्पी साध लेते हैं। ऐसी भिन्नता अनावश्यक रूप से लोकतंत्र के प्रश्नों को सांप्रदायिक संघर्षों में बदल डालता है। गुजरात में एक

दक्षिणपंथी हिंदू समूह अंतरधर्मीय विवाहों पर नजर रखने का काम करता है एवं वह युवा जोड़ों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को आतंकित करता है। अलबत्ता, धर्मनिरपेक्ष भारत में कोई भी धर्म के दो वयस्क लोग कायदे के अनुसार विवाह कर सकते हैं। गुजरात में मुसलमान युवकों के साथ नकली मुठभेड़ अब समाचार नहीं रहे। यह सूची काफी लंबी है।

गुजरात जैसे राज्य में कुल मिलाकर प्रशासन तंत्र एवं कानून तथा व्यवस्था के तंत्र पर कब्जा कर लिया गया है एवं उसकी स्वतंत्रता को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई गई है। स्वायत्त उदारमतवादी शैक्षणिक संस्थाओं, मानव अधिकारों के मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों, अन्याय के समक्ष लड़ने वाले कर्मशीलों एवं न्याय मांगने वाले लोगों पर हमेशा परेशानी आती रही है।

ऐसा हरेक हमला नागरिक स्वतंत्रता एवं मानव अधिकारों की नींव पर कुठाराघात होता है। यह तिरस्कार के नए प्रतीकों का सर्जन करता है, अविश्वास का वातावरण खड़ा करता है एवं समाज के विविध वर्गों के बीच धोखा देने की भावना को मजबूत करता है। अलबत्ता, अल्पसंख्यक अधिक तीव्रता के साथ इसे अनुभव करते हैं इसमें किसी तरह की शंका को स्थान नहीं है।

अतः, मात्र अल्पसंख्यकों के ही अधिकारों पर नहीं, उनकी वाणी, अभिव्यक्ति एवं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों जैसे मूलभूत अधिकारों पर भी संकट आता है एवं हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस पर गंभीर चिंतन करने की जरूरत है।

मुसलमान दृष्टिकोण

बाबरी मस्जिद के ध्वंस एवं गुजरात के दंगों के बाद मुसलमानों में एक ऐसी मजबूत भावना पैदा हुई है कि उन्हे न्याय नहीं मिला। प्रसिद्ध न्यायविद् वी.आर. कृष्णाअय्यर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निवृत्त न्यायमूर्ति थे। उन्होंने कहा था कि तमाम बड़े सांप्रदायिक दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को सबसे अधिक सहन करना पड़ता है एवं उन्हे न्याय नहीं मिलता।

हकीकत यह है के स्वतंत्रता से पूर्व १५० वर्षों में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनसे अधिक सांप्रदायिक दंगे पिछले ६० वर्षों में हुए हैं। हमें किसी भी तरह का समझौता किए बिना व्यक्ति अपनी उचित पहचान पसंद करने में सक्षम है या नहीं, उस आधार पर धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र का मूल्यांकन करने की जरूरत है। बाबरी मस्जिद के ध्वंस से गुजरात के दंगों तक भारत की धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल हुई है एवं न्याय नही मिला है। इससे हमें देश के धर्ममनिरपेक्ष ताने-बाने को बचाने के लिए मध्यस्थताओं की अपनी व्यूहरचनाओं को फिर से बनाने की जरूरत है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसमें कोई शंका नहीं है, इसके बावजूद ऐसा क्यों है कि दुनिया के इस सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़े अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की गारंटी ६० वर्ष की स्वतंत्रता दौरान क्यों नहीं दी जा सकी? इसके विपरीत, उनकी उपेक्षा, अलगाव एवं सीमांतीकरण बढ़ा है।

इन भावनाओं को समझने के लिए कई समकालीन प्रश्नों पर नजर डालें। गुजरात के दंगों के बारे में सत्य को बाहर लाने में मीडिया की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। इस बात को स्वीकार करने के बावजूद जो अन्य घटनाएं बन रही हैं उन्हें अभी भी ध्यान में लेना पड़ेगा। १९९३ के मुंबई के बम विस्फोट के आरोपियों देर-सवेर सजा भी हुई है। फिर भी इन हकीकतों को नजर अंदाज नहीं कर सकते कि ये विस्फोट मुंबई में दंगों के बाद हुए थे, एवं दंगों के बारे में श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट बड़ी कुशलतापूर्वक एक तरफ धर दी गई। हाल ही में मुंबई में लोकल ट्रेनों में जो विस्फोट हुए थे उनके अत्यंत घातक होने के कारण उन्हें काफी प्रचार मिला था। एक अग्रणी अंग्रेजी अखबार ने बम विस्फोट में मरे हरेक व्यक्ति के जीवन की कहानी हररोज पहले पन्ने पर छापी थी परंतु मालेगांव के विस्फोटों को शंकास्पद रूप से भूल गए ।

वहां मुख्य रूप से ३२ मुसलमानों की जान गई थी। समझौता एक्सप्रेस में हुए विस्फोटों के बारे में अविश्वसनीय शांति बनाई रखी गई थी। हम जब मुसलमानों पर हुए अन्याय एवं उनके अलगाव के बारे में बात करते हैं तब राष्ट्रीय एवं वैश्विक संदर्भ की अनदेखी नहीं कर सकते । अभी देश की धर्मनिरपेक्षता के बारे में बड़े पैमाने पर कुछ गलत हो रहा है।

इसके बाद भी, भी मुसलमान बारंबार समाचारों में चमकते रहते हैं। जो मीडिया में सुर्खियां बनती हैं एवं परिसंवादों का विषय बनते हैं उन मुद्दों पर नजर डालना रोचक हो जाएगा। उसमें समान नागरिक संहिता, बहुपत्नीत्व, एकपक्षीय तलाक, कुरान पर प्रतिबंध, ध्वजवंदन, वंदे मातरम का गान, गोवंश हत्या पर प्रतिबंध, कुटुंब नियोजन का स्वीकार, हज के लिए दी जाने वाली सबसिडी, मदरसों का शिक्षण, पाकिस्तान की तरफ वफादारी, आतंकवाद आदि मुद्दों का समावेश होता है। ये सभी प्रश्न या तो मुसलमानों की धार्मिक पहचान के प्रश्न खड़े करते हैं अथवा देश के प्रति उनकी वफादारी के प्रश्न खड़े करते हैं। (मेरा मानना है कि जिस मुसलमान ने इस देश का नागरिक रहना पसंद किया वह सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि उसके पास उसके धर्म के देश को पसंद करने का विकल्प था परंतु उसने धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र राज्य का भाग बनना पसंद किया) ।

इन सभी मुसलमानों में अल्पसंख्यकों के रूप में पहचान का संकट अधिक तीव्र बना है। कभी-कभी मुसलमानों के स्वयंभू नेता लोग अपने तात्कालिक लाभों के लिए परिस्थिति को तोड़-मरोड़ कर फायदा उठाया है। ६० वर्ष की स्वतंत्रता के बाद देश के राजकीय ढांचे में तमाम स्तरों पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व काफी कम रहा है। मुसलमान सांसदों की संख्या कभी भी ५० से अधिक नहीं रही एवं वह सांसदों का लगभग ५ प्रतिशत है।

न्यायमूर्ति सच्चर समिति की रिपोर्ट में कई अवलोकनों पर नजर डालना रोचक होगा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त इस हाई-पावर समिति ने देश के मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति की जांच की थी। यह मुसलमान समुदाय के बारे में आंख खोलने वाली सबसे प्रथम रिपोर्ट है।

गुजरात

भारत के संदर्भ में देखें तो यह नागरिक समाज एवं राज्य के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक खूब जटिल किस्सा है। गुजरात के दंगों की तीव्रता एवं घातकता धरती को कंपा देने वाली थी एवं उसमें राज्य का तंत्र सीधा शामिल था। वास्तव में, गुजरात में जो हुआ वह स्वतंत्रता के बाद के भारत में कहीं भी नहीं हुआ। गुजरात के २००२ के इन दंगों में २००० मुसलमान मारे गए, करीब ४०० मुसलमान महिलाओं का बलात्कार हुआ एवं करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। लगभग ५६३ धर्मस्थल नष्ट हुए। लगभग दो लाख मुसलमान प्रत्यक्ष रूप से विस्थापित हुए । 'इंडिया टुडे' की एक रिपोर्ट के अनुसार इन दंगों में करीब १२ लाख लोगों ने भाग लिया था। आज इस हत्याकांड लिए सीधी जवाबदार भाजपा की सरकार का राज्य की विधान सभा में संपूर्ण बहुमत है। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। लोकतंत्र के नाम पर इस तरह बहुसंख्यक लोगों का समर्थन मिला है जो यह दर्शाता है कि राज्य में आम जनता का संप्रदायीकरण हुआ है। यह भारतीय लोकतंत्र की सीमाएं भी दर्शाता है।

आज लगभग छः वर्ष बाद भी राज्य में मुसलमानों के लिए स्थिति नहीं बदली है। आज भी मुसलमान धार्मिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे राहत शिविरों में १.५ लाख मुसलमान अत्यंत कम अथवा नहीं के बराबर सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। कुछ मुसलमानों के विरुद्ध अत्याचारी पोटा कानून लगाया गया है एवं वे किसी भी तरह के केस के बिना ही राज्य की जेलों में सड़ रहे हैं । तमाम बड़े केस अदालतों में लंबित हैं। मुसलमानों की अधिक आबादी वाले तमाम क्षेत्रों को नकारात्मक क्षेत्रों के रूप में अथवा मिनी पाकिस्तान के रूप में देखा जाता है। एवं गुजरात में हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है के बोर्ड आपको देखने को मिले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक डरावना पहलू यह है कि राज्य का व्यापक नागरिक समाज पछतावे की मामूली सी भावना नहीं रखता।

दक्षिण एशिया की एक पत्रिका 'हिमाल' के पत्रकार प्रशांत झा को जो अनुभव हुआ उसका वर्णन उसने इस रूप से किया था: 'जब यह रिपोर्टर अपनी लंबी दाढ़ी के साथ अहमदाबाद में एक भद्र सरकारी कॉलोनी में एक वरिष्ठ अधिकारी से मिलने गया तब तीन बालक अपनी साइकल पर से अचानक उतर गए, एक ने जोर से आवाज लगाई, 'आंतकवादी', 'क्यों?' कारण कि आप मुसलमान हो। - ऐसा उसने कहा। अर्थात, 'सभी मुसलमान आंतकवादी हैं'। मेरे पिताजी न्यायमूर्ति हैं। वे आपको अदालत में आतंकवादी

न्यायमूर्ति सच्चर समिति के अवलोकन एवं निष्कर्ष

मुसलमानों की परिस्थितियों में समग्र देश में काफी भिन्नता दिखाई देती है साथ ही व्यावहारिक रूप से विकास के तमाम पहलुओं में इस समुदाय में कमी एवं वंचितता दिखाई पड़ती है। दुनिया भर में अल्पसंख्यकों को तीन प्रकार के परस्पर संबंधित प्रश्नों का सामना करना पड़ता है: पहचान, सुरक्षा एवं समता। ऐसा भी लगता है कि ये तमाम अल्पसंख्यकों के लिए ये बातें समान नहीं हैं।

- भारत के मुसलमान दोहरा बोझ उठा रहे हैं। उन्हें राष्ट्र-विरोधी कहा जाता है तो साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि उनका तुष्टिकरण किया जा रहा है।
- भारत में आज बड़ी संख्या में मुसलमान महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह उनका घर एवं उनका समुदाय है।
- जब भी कोई घटना बनती है तब पुलिस मुसलमान लड़कों को पकड़ ले जाती है। पुलिस इस तरह इस समुदाय के साथ दोहरा व्यवहार करती है।
- मुसलमान कनिष्ठता की मानसिकता से पीड़ित है क्योंकि दाढ़ी वाले किसी मुसलमान को आईएसआई का एजेन्ट समझा जाता है।
- देश के कई भागों में मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है एवं सदियों से जहां वे रहते थे उन जगहों से उन्हें स्थलांतरण करन पड़ा है।
- काफी मुसलमानों में यह विचार सुदृढ़ होता जा रहा है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है एवं उससे सामूहिक अलगाव पैदा हो रहा है।

शिक्षण

- २००१ में समग्र देश में औसतन साक्षरता दर ६५.१ प्रतिशत थी एवं मुसलमानों में यह काफी कम ५९ प्रतिशत थी। मुसलमानों को ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा प्राप्त होने से रोजगार मिलेगा ही।
- मुसलमान क्षेत्रों में ज्यादातर प्राथमिक स्तर से ऊंची शालाएं नही हैं। शालाओं की पाठ्यपुस्तकों में सांप्रदायिक जानकारी होती है उनसे मुसलमानों में स्वाभाविक रूप से चिंता होती ही है।
- कई बार मदरसे ही उनके लिए शिक्षा का एक विकल्प होता है। खास कर के गरीबों के लिए यही स्थिति होती है। इसके साथ ही मात्र ३० प्रतिशत बालक ही मदरसों में जाते हैं।
- आम सुरक्षा के बारे में विचार आंशिक रूप से बढ़ रहे सांप्रदायिक दंगों के साथ जुड़ा हुआ है: माता-पिता शाला में लड़कियों को भेजने से डरते हैं ।
- अन्य तमाम वर्गों की तुलना में मुसलमानों में बीच में ही शाला छोड़ जाने की मात्रा सबसे अधिक है।

अर्थव्यवस्था एवं रोजगार

- मुसलमान महिलाएं काफी कम मात्रा में नौकरी करती हैं। भारत में १५ से ६४ के वर्ग में ४४ प्रतिशत स्त्रियां हैं जो काम पर जाती हैं, मुसलमानों में यह मात्रा लगभग २५ प्रतिशत है।
- मुसलमान स्त्रियों में स्वयं ही आर्थिक उद्यम चलाने वाली स्त्रियों की मात्रा काफी अधिक है। इसका अर्थ यह है कि अन्य तमाम वर्गों के लोगों के मुकाबले मुसलमान स्त्रियां अधिक आर्थिक उद्यम रखती हैं ।

कहेंगे।' 'वास्तव में?' हां। अब यहां से चलते बनो। यह हिंदू क्षेत्र है। सायुज्य एक बारह वर्ष का लड़का है एवं अपनी जिंदगी में एक भी मुसलमान से नहीं मिला। पता नहीं है कि गुजरात में कितने सायुज्य बन रहे हैं।

ध्रुवीकरण को रोकने के लिए बहुत्ववाद को प्रोत्साहन

भारत दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के रूप में सुपर पावर बन रहा है। उसके पास ऐसे बहुत्ववाद को प्रोत्साहन देने के सिवाय कोई विकल्प नहीं जो वह अपनी छाप लगा सके । वास्तव

- मुसलमान महिलाएं ज्यादा बेहतर काम की स्थितियों के बारे में सौदेबाजी नहीं कर सकती क्योंकि वे जो काम करती हैं वह उप-ठेकेदारी से करती हैं।
- वेतनवाली नौकरियों में मुसलमान लोगों की भागीदारी काफी कम है। शहरी क्षेत्रों में नियमित नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी सीमित है एवं वह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से भी कम है।
- निजी क्षेत्र की भरती में मुसलमानों को समावेश करने के लिए उसे संवदेनशील बनाने की जरूरत है।
- आर्थिक क्षेत्र में तेजी होने के बावजूद मुसलमान को उदारीकरण से पैदा हुए स्पर्धात्मक कारकों का सामना करना पड़ता है।
- मुसलमान अपने परंपरागत व्यवसायों में से विस्थापित हुए हैं एवं वे जीवन निर्वाह से वंचित हुए हैं।
- अनेक बैंकों ने मुसलमान क्षेत्रों को 'नेगेटिव' या 'रेड जोन' के रूप में वर्गीकृत किया है जहां लोन नहीं दिया जाता।
- बकाया उधारी में अन्य अल्पसंख्यकों का योगदान ६.५ प्रतिशत है जबकि मुसलमानों का योगदान मात्र ४.७ प्रतिशत है।

स्वास्थ्य

- मुसलमान क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं एवं ढांचागत सुविधाओं का अभाव होता है।
- मुसलमान एवं खास करके मुसलमान स्त्रियों के स्वास्थ्य की स्थिति गरीबी के साथ जुड़ी होती है एवं वह पीने के शुद्ध पानी एवं सफाई जैसी बुनियादी सेवाओं के साथ भी संबंध होता है।
- जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम एवं गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी मुसलमान महिलाओं तक असरकारक रूप से नहीं पहुंचती । अन्य तमाम वर्गों की तुलना में मुसलमानों में लिंग का प्रमाण काफी सुधर रहा है।
- मुसलमानों में बाल मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर औसत से कुछ कम है।
- मुसलमान सहित तमाम धार्मिक समूहों में प्रजनन दर काफी मात्रा में कम हुई है। मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है। अन्य तमाम वर्गों की तुलना में मुसलमान बालक का वजन आवश्यकता से कम है।
- हिंदू बालकों की तुलना में मुसलमान बालकों में कुपोषण का खतरा अधिक है।

ढांचागत सुविधाएं

- २००१ में देश में शहरी जनसंख्या की मात्रा २७.८ प्रतिशत है भी मुसलमानों में यह मात्रा ३५.७ प्रतिशत है।
- छोटे गांवों में मुसलमानों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं काफी कम हैं।
- कम ढांचागत सुविधाओं वाले राज्यों में मुसलमान अधिक हैं, इसका अर्थ यह है काफी मुसलमानों को बुनियादी सुविधाएं प्राप्त नही होती।

शासन

- अनेक राज्यों में निर्वाचन सूचियों में से मुसलमानों के नाम गुम हो जाते हैं।
- अनेक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्रचना आयोग द्वारा एवं आरक्षित घोषित किया गया है जिसमें मुसलमानों की संख्या अधिक है।

में इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि हमसे गलती कहां हुई? क्या यह फासीवादी ताकतों की जीत है एवं भारतीय राज्य एवं नागरिक समाज की विफलता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य एवं उसके व्यवहारों का हम आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो उसका समय पूरा हो गया है। हम आगें बढ़ें उससे पहले नीचे के प्रश्न पूछने की जरूरत है:

१. बहुत्ववादी समाज को कौन बचाना चाहता है? किसलिए? एवं वह इसके लिए अपना योगदान किस तरह दे सकता है?

२. बहुत्ववादी समाज का नाश कौन करना चाहता है? किसलिए? उसे ऐसी प्रेरणा किस तरह से मिली एवं बहुत्ववाद को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया में उसे किस रूप में शामिल कर सकते हैं?

इसका अर्थ यह है कि हम तमाम हितधारकों को शामिल करना चाहते हैं। वास्तव में, सबसे महत्वपूर्ण एवं चुनौतिपूर्ण कार्य यह है कि बहुसंख्यक समुदाय को किस रूप में शामिल कर सकते हैं?। गुजरात का हमारा अनुभव यह दर्शाता है कि इस मुद्दे पर मुसलमान समुदाय को शामिल करना बहुत सरल है, क्योंकि वे पीड़ित हैं एवं उन्हें अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हैं। परंतु बहुसंख्यक समुदाय की अंतरात्मा को टटोलना मुश्किल है। मैं सामान्य गुजराती बहुसंख्यक समुदाय की बात कर रही हूं। हम वास्तव में उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल करने की व्यूहरचनाएं ढूंढ रहे हैं।

गुजरात का हमारा अनुभव यह कहता है कि यह एक भगीरथ कार्य है ऐसा ही नहीं परंतु न्याय के लिए लड़ाई चालू रखना वास्तव में हताशाजनक है। वरिष्ठ समाज विज्ञानी प्रो. शिव विश्वनाथ ने समाज के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने को बनाए रखने के लिए काम करके जो अलगाव की भावना अनुभव की है उसे उचित शब्दों में व्यक्त किया है: आप आसपास किसी भी चीज का विरोध करेंगे तो आपको अकेलापन एवं तिरस्कृतता का अनुभव होता है। लोग आपको आपके दुःख के बारे में पूछने लगेंगे कि मानो आप बीमार हों। बाद में वे ऐसा बहाना निकालेंगे कि मानों आपका दिमाग ठीक न हो और आप पर्याप्त व्यूहरचना वाले भी न हो। इसके बावजूद अगर आप अपना विरोध चालू रखोगे तो आपको इस तरह की सलाह दी जाएगी जो धमकी के रूप में होगी, धमकियां धिक्कार में बदलेंगी एवं धिक्कार बाद में सामाजिक डर या अन्य स्वरूप लेगा। बहुत्ववादी समाज को प्रोत्साहन देने में मददगार होने वाले कुछ विचार मैं यहां विनम्र भाव से पेश करती हूं । मुझे पता है कि ये मात्र विचार ही हैं। इन विचारों पर अमल होने वाला वातावरण पैदा करने की जरूरत है। गुजरात के लिए मेरे पास उनका कोई तैयार जवाब नहीं है। क्योंकि जहां राज्य एवं नागरिक समाज अभी भी सुनने के लिए तैयार है, चिंतन करने के लिए तैयार है अथवा जहां उसके लिए स्थान है वहां इनका उपयोग किया जा सकता है। इसमें शंका को कोई स्थान नहीं है कि देश के संविधान में जिनके प्रति प्रतिबद्धता दर्शाई जाती है उन मूल्यों का जतन करना राज्य का मूलभूत कर्तव्य है। परंतु सभी काम गुजरात जैसे राज्य पर छोड़ देना खतरनाक साबित हो सकता है।

अर्थात इन तमाम विभाजक कारकों के समक्ष नागरिक समाज को एकत्र करना है एवं लोक शिक्षण करना है। अन्यथा, नागरिक समाज के पास जो बड़ा स्थान है उस पर प्रत्याघाती या कट्टरतावादी ताकतें अपने खतरनाक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कब्जा कर लेंगी। गुजरात का अनुभव यही दर्शाता है। अर्थात राज्य पर निर्भरता को चुनौती देते समय नागरिक समाज को सक्रिय करने की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि अभी तीन डी पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है:

डेमोक्रसी (लोकशाही), डाइवर्सिटी (वैविध्य) एवं डायलोग (संवाद)। संवाद को प्रोत्साहन दो, वैविध्य को आदर दो एवं लोकतंत्र को सुनिश्चित करो। इन सबके लिए विविध व्यूहरचनाएं देखें:

१. **संवाद के संस्कार को प्रोत्साहन दो एवं चुप्पी के संस्कार को बदलो**

धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुसार राजकीय शिक्षण दिया जाए तो चर्चा एवं वाद-विवाद का वातावरण पैदा हो एवं सभ्यतापूर्वक असहमत होने के अधिकार का वातावरण पैदा हो। चुप्पी साधे बैठे समूहों को जगाएं एवं मुद्दों के बारे में बदलाव स्वीकार करने के लिए तैयार करें। हमें ऐसे वातावरण को प्रोत्साहन देना है जिसमें हरेक व्यक्ति तर्कपूर्वक अपना अभिप्राय रख सके। हमें चुप्पी के संस्कार में से बाहर निकलने की जरूरत है क्योंकि यह निर्मल समाज का सर्जन करता है।

२. **शांति के संस्कार को प्रोत्साहन एवं हिंसा के संस्कार को त्यागना**

शांति की संस्कृति अर्थात क्या, इसकी व्याख्या संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशन्स - यूएन) द्वारा दी गई है: मूल्यों, बदलावों, व्यवहार के तरीके एवं जीवन के ऐसे रास्ते जो हिंसा से इनकार करें एवं समस्याओं का हल व्यक्ति या, समूहों एवं

राष्ट्र के बीच संवाद एवं बातचीत द्वारा लाने का प्रयास करें। यह एक सर्वग्राही व्याख्या है एवं इसे चरितार्थ करने का कार्य काफी बड़ा है।

३. समाज में धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति

धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति पैदा करना एक प्रक्रिया है। उसके द्वारा हम धार्मिक प्रतीकों के वर्चस्व में से बाहर निकलते हैं एवं तार्किक रूप से विचारना, प्रश्न पूछना, समझना एवं व्यवहार करना शुरू करते हैं। हम इन मूल्यों को रोजाना की विचार प्रक्रिया एवं व्यवहार के मुख्य प्रवाह में लाना है। धर्मनिरपेक्षता हमारी जीवनशैली बननी चाहिए। यह अत्यंत महत्त्व की बात है कि अल्पसंख्यकों एवं अन्य पिछड़े नागरिकों के सामने धिक्कार के प्रचार का हमें सामना करना है। मुसलमानों के बारे में काफी गलत बातों का प्रचार होता रहता है, एवं वे बहुसंख्यक समुदाय एवं उनके बीच दीवाल खड़ी करती हैं। तर्कबद्धता पर आधारित नया ज्ञान धिक्कार की दीवालों को तोड़ने में सहायक बनेगा। वह जाति एवं धर्म से अलग धर्मनिरपेक्ष पहचान बनाने में भी सहायक बनेगा।

४. राजनीतिक प्रतिनिधित्व

प्रशासन एवं सरकार के स्तर पर समुदाय का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिले तो अल्पसंख्यकों के नेता कूप मंडूक बन जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील एवं आधुनिकता वाले स्त्री-पुरुष नेताओं को प्रोत्साहन दिया जाना नागरिक समाज के हित में है।

५. समान उत्तराधिकार के बारे में गौरव को प्रोत्साहन

सांप्रदायिक राजनीति के उदय के कारण समान उत्तराधिकार का गौरव कम हुआ है। हम इतिहास, समाज एवं संस्कृति की महानता के बारे में भावनाओं पर हम तभी जोर दे सकते हैं जब ऐसे स्मारकों एवं भाषाओं आदि को हम समाज का सामूहिक उत्तराधिकार समझें, एवं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह हिंदुओं का है या मुसलमान का या अन्य किसी का।

६. पाठ्यपुस्तकों में धर्मनिरपेक्षता

पिछले काफी समय से पाठ्यपुस्तकों का संप्रदायीकरण हुआ है एवं उसे विकृत बनाया गया है। ये विकृतियां दूर होनी चाहिए एवं इतिहास का विश्लेषण वस्तुगत रूप से होना चाहिए। उस पर हमें प्राचीन एवं मध्य युगीन समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर जोर देना चाहिए । तभी युवा पीढ़ी बहुत्ववादी समाज की संस्कृति को समझ सकेगी।

७. सांस्कृतिक मध्यस्थताओं द्वारा संवेदनात्मक संबंध बनाना

हम सभी ऐसा मानते हैं कि सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मध्यस्थताएं मानव अधिकारों के प्रस्थापित मांनदंडों के ढांचे में होनी चाहिए, जिससे सामाजिक शांति, आर्थिक न्याय, राजनीतिका सहभागिता एवं सांस्कृतिक वैविध्य सुनिश्चित हो सके। मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि हम आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों के बारे में चिंतित होते हैं, सामाजिक मुद्दों के बारे मे भी कुछ अंश तक चिंता करते हैं, परंतु कर्मशील सांस्कृतिक बातों को अधिकांशतया अनदेखी करते हैं। परंपराओं का मूल्यांकन करने के रास्तों के बारे में हमें फिर से विचार करने की जरूरत है। हमें तार्किक प्रवृत्तियों में संवेदनात्मक बातों का समावेश करने की जरूरत है जो लोगो की जिंदगी का अभिन्न अंग है। हम समाज के धर्मनिरपेक्ष ढांचे का विस्तार करने के लिए उसका उपयोग एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कर सकते हैं ।

८. समुदाय-आधारित लोक संगठन को प्रोत्साहन

धर्मनिरपेक्ष मानस रखकर स्थानिक प्रश्नों के आसपास लोगों के संगठित करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इससे उपेक्षित समुदायों में एकता पैदा होगी। हम एक बिल्कुल अलग मुद्दे के रूप में धर्मनिरपेक्षता को प्रोत्साहन न दे सकें परंतु हमें अपनी तमाम प्रवृत्तियों में उन्हें शामिल करना चाहिए।

९. राज्य का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना एवं उसकी अदंडनीयता को चुनौती देना

मानव अधिकारों के किसी भी तरह के भंग के लिए राज्य सीधे जवाबदार होता है। भारत में एवं खास करके गुजरात में फौजदारी न्याय की व्यवस्था संपूर्ण रूप से भंग होती हमने देखी है। हमने देखा है कि फौजदारी कानून सामूहिक अपराधों के मामलों में न्याय देने के लिए अपर्याप्त हैं। कोई भी बहुत्ववादी समाज के लिए यह काफी महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य बात है कि तमाम अल्पसंख्यकों को न्याय व्यवस्था में श्रद्धा हो। हमें सामूहिक रूप से राज्य की अदंडनीयता को चुनौती देना चाहिए।

शेष पृष्ठ 21 पर

वंचिततालक्ष्यी विकास से हिंदुत्व तक: गुजरात में अहिंसा की दंतकथा

प्रस्तुत लेख एक्शन एड (इंडिया) का भूतपूर्व प्रोग्राम मैनेजर **श्री प्रसाद चाको** द्वारा लिखा गया है। इस लेख में गुजरात की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति का ऐतिहासिक संदर्भ में विवेचन किया गया है एवं विश्लेषण किया गया है कि किस तरह गुजरात का वातावरण सांप्रदायिक बना। साथ ही यह भी दर्शाया गया है कि गुजरात की इस परिस्थिति कि लिए कौन किस तरह जवाबदार है। गुजरात एक अहिंसक राज्य है ऐसी सामान्य रूप से प्रचलित धारणा को दूर करके इस लेख में प्रवर्तमान परिस्थिति का हल खोजने का प्रयत्न किया गया है।

प्रस्तावना

गुजरात आज एक ऐसी राजनीति का जीवंत उदाहरण है जिसकी रचना संघर्ष की राजनीति पर हुई है। गुजरात ऐसा राज्य है जो हमेशा महात्मा गांधी के जन्म स्थान के साथ जुड़ गया है, राज्य में ही उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी एवं अहिंसा तथा सत्याग्रह की राजनीतिक एवं नैतिक व्यूहरचनाएं भी की थी एवं इन विचित्र मुखौटों को इस तरह से बेजोड़ लाभ मिला था। उन्होंने जाति, हिंसक एवं असमान आर्थिक वृद्धि एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में से पैदा हुए अंतर्निहित विरोधों का मुखौटा पहना था।

अन्यत्र जैसा बना स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रभावी समुदायों एवं विकासमान खेतिहर जातियों की एवं संस्कृति को उभर रहे राष्ट्रत्व के संदर्भ में आकार देने में सक्षम बनाया है। गुजरात की पहचान व्यापारियों की भूमि, अहमदाबाद के महाजनों की भूमि, समृद्ध, साहसिक एवं मेहनतकश पटेल किसानों की भूमि बनी रही, वह गांधीवादी संस्कारों के मध्य में वर्चस्ववादी विकृति का भाग बनी रही एवं समग्र स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान वह ऐसी ही रही।

यहां आबादी की संरचना जैसी है उसे याद रखना जरूरी है: ७ प्रतिशत अनुसूचित जातियां, १५ प्रतिशत अनुसूचित जनजातियां, ११ प्रतिशत मुसलमान एवं लगभग ५२ प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग हैं। वे राज्य के भूसांस्कृतिक क्षेत्रों में फैले हैं एवं उनकी संस्कृति, भाषा, व्यवसाय एवं पहचान में काफी भिन्नता है। स्वतंत्रता के बाद के तीन दशक तक दलित, आदिवासी, मुसलमान एवं पशुपालक तथा बड़े कारीगर समूह पटेल-ब्राह्मण-महाजन की सत्ता की युति में कहीं भी नहीं दिखते थे ।

२००२ में हुई हिंसा को इस ऐतिहासिक रूप से प्रगति एवं सत्ता की बांट में से लगातार पिछड़े सुमदायों के अवशेष के संदर्भ में देखना चाहिए। यह उल्लेखनीय बात है कि महाराष्ट्र एवं दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे गंभीर सामाजिक पुनरुत्थान के आंदोलन हुए थे वैसे आंदोलन गुजरात में नहीं हुए।

राज्य के कोई भी प्रयास आदिवासियों को लगभग छू भी नहीं पाए थे सिवाय कि उनके निवास पर लगातार आक्रमण होते ही रहे । स्वतंत्रता के बाद भारत के वन विभाग ने एक दमनकार के रूप में ही उनका शोषण किया। पूर्व के आदिवासी पट्टे में गांधीवादी आश्रमों मिशनरियों का ही प्रभाव रहा है । इन दोनों ने अपने तरीके से गैर-सरकारी विकासलक्ष्यी कार्यक्रम हाथ में लिए। परंतु झारखंड एवं पूर्व के राज्यों की तरह गुजरात में अभी तक भी आदिवासियों को उनकी पहचान एवं संस्कृति पेश करने के लिए राजकीय अवसर कभी भी नहीं मिला।

धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को जीवंत रखने के लिए मजबूत उदारमतवादी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं काफी महत्त्वपूर्ण हैं । राष्ट्रवादी कवि मेघाणी एवं अन्य कई लोगों का प्रभाव शायद काफी सीमित रहा परंतु वह सामाजिक प्रबुद्धता के रूप में ध्यान आकर्षित करने वाला नहीं था। इससे सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ा शून्य पैदा हो गया। इससे उदारमतवादी, प्रगतिशील एवं बौद्धिक परंपरा का विकास रुक गया एवं इन परंपराओं में से सामान्य रूप से जिस प्रकार का साहित्य एवं कलाएं पैदा होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं हो पाई।

इस लेख में गुजरात के संघर्ष को काफी व्यापक फलक पर दर्शाने के संन्निष्ठ प्रयास किए गए हैं। वह दो भाग में बंटी वृद्धि को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संघर्ष की वंचितता प्रेरित विकास एवं सामाजिक इंजीनियरी की साजिशवाली प्रक्रिया के मूल को खोजने के लिए संघर्ष करता है जिसने छिपे रूप से निम्न जातियों के राजनीतिक दावों का राजनीति एवं हिंसा के संप्रदायीकरण द्वारा प्रतिकार किया गया ।

गुजरातः विभाजित वृद्धि

आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में गुजरात हमेशा भारत के राज्यों में उच्च स्तर पर रहा है। १९६० के दशक से १९९० के दशक तक आर्थिक वृद्धि की दर ३.३३ प्रतिशत से ५.६७ प्रतिशत बीच रही। २०००-०१ में प्रति व्यक्ति आय १९,२२८ रु. हुई थी एवं १६,४८७ रु. की राष्ट्रीय औसत से भी अधिक रही है। उसका यश पूंजीवादी उद्योगों के विकास को दे सकते हैं जो अन्य क्षेत्रों की कीमत पर स्वर्ण पट्टी में केन्द्रित रहा एवं पहले से विकसित अहमदाबाद जैसे औद्योगिक शहरों तक सीमित रहा। परिणामस्वरूप विकसित अहमदाबाद में धड़कता कपड़ा मिल उद्योग खत्म हो गया एवं उसके कारण निराधारता एवं गरीबी बढ़ी है।

दूसरा एक द्वंद्व खेती एवं उद्योगों के बीच है जो अधिक से अधिक दृश्यमान बनता गया। गुजरात की अर्थव्यवस्था की वृद्धि एवं ढांचागत बदलाव के बागची एवं अन्यों के २००० तक ३० वर्ष के अध्ययन में यह बताया है कि गुजरात की अर्थव्यवस्था का विकास असंतुलित तथा कम-ज्यादा के रूप में हुआ एवं उसका प्राथमिक क्षेत्र पर कोई सकारात्मक असर नहीं हुआ। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के बीच विरोधाभास उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है।

१९७०-७१ में प्राथमिक क्षेत्र में से ७११९.४४ करोड़ रु. की आय हुई थी एवं वह काफी बदलाव के साथ २०००-०१ में १२१४०.३८ करोड़ रु. पर पहुंची थी। यह मात्र एक प्रतिशत की विकास दर दर्शाता है। १९८० के एवं १९९० के दशक के दौरान खेती में वृद्धि दर नकारात्मक थी। १९९० के दशक के उदारीकरण से राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के बारे में कोई महत्त्वपूर्ण या उल्लेखनीय सुधार शायद ही हुआ ।

गुजरात में स्त्रियों की अपमृत्यु

वर्ष	मृत्यु	दैनिक औसत
१९८७	२२२०	६.०८
१९८८	४११६	११.२७
१९८९	४२४५	११.६५
१९९०	३९८६	१०.९२
१९९१	३८६२	१०.५८
१९९२	४०१६	११.००
१९९३	४५२१	१२.३८
१९९४	४८३८	१३.२५
१९९५	५११२	१४.००
१९९६	५१६४	१४.१५
१९९७	५५२५	१५.१४
१९९८	६३४९	१७.३९
१९९९	६१३५	१६.८०
२०००	५५८३	१५.०३

राज्य के घरेलू उत्पाद (स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट - एसडीपी) में औद्योगिक समूहों की सूचना का विश्लेषण करने से पता चलता है कि, "प्राथमिक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उस खेती का योगदान लगातार कम होता गया है। १९७०-७१ में वह ४५.२ प्रतिशत था एवं २०००-०१ में वह १३.४ प्रतिशत हो गया।"

भारत के अन्य राज्यों के अनुभव की तरह ही गुजरात में खेती में रोजी कमाने वाले लोगों का प्रतिशत उनके द्वारा होने वाली आय की तुलना में काफी धीमी गति से कम हुआ है। वह अभी भी रोजगार का महत्त्वपूर्ण स्रोत है। १९८७-८८ से १९९९-२००० के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान - २१.७ प्रतिशत रहा जबकि रोजगारी में योगदान उसी समय के दौरान -६.१ प्रतिशत रहा था। गुजरात में २००१ में खेती में ५२ प्रतिशत लोग लगे हुए थे एवं उसने राज्य के घरेलू उत्पाद (एसडीपी) में १३ प्रतिशत ही योगदान दिया था। अर्थात खेती के क्षेत्र में लोगों की स्थिति खराब थी। अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव होते रहने के निर्देश उसमें से मिलते रहे हैं।

ऐसा कहने की शायद ही जरूरत है कि, उससे दलित खेत मजदूरों, पूर्व पट्टी के आदिवासियों एवं अधिकांशतः अन्य पिछड़े वर्गों के एवं सीमान्त किसानों पर व्यापक रूप से विपरीत असर पड़ा है। १९८० के एवं १९९० के दशक के दौरान लोगों को विकास के जो सपने दिखाए गए थे वे एक दंतकथा ही साबित हुए एवं १९९० के दशक के मध्य तक तो वह निराशाजनक एवं असंतोषदायी साबित हो गया था ।

सुश्री दर्शिकी महादेविया के बताए अनुसार, 'राज्य मानव विकास में पीछे रह गया है एवं किसी भी कीमत पर वह आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना चाहता है। उन्होंने शिक्षित मध्यम वर्ग के व्यावसायिक मूल्यों की विचारधारा में उसके विकास को रख दिया है।' उसके परिणामस्वरूप विकास के अन्य महत्वपूर्ण पहलू की अवगणना हुई है। इससे राज्य टिकाऊ रूप से मानव विकास को आगे बढ़ाने की क्षमता बहुत कम है।

गुजरात में विकास

गुजरात की हाल की स्थिति विरोधाभासों की भीड़भाड़ है। वर्गीय असमानता, अंतर्निहित जातिवाद, दमनकारी सामाजिक व्यवस्था को छिपाती अहिंसा, थोड़े लोगों के आर्थिक विकास में छिपा हुआ अधिकांश लोगों का अल्पविकास। कई तरह से गुजरात एक मॉडल राज्य है। भारतीय समाज के बताए तमाम विरोधाभास उसमें हैं एवं इसके बावजूद वह आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों की पंक्ति में आता है।

गुजरात की सबसे प्रभावशाली छाप है संपत्ति, धंधा-व्यवसाय एवं व्यापार। इसके साथ ही एक ऐसी छाप है कि वह अहिंसक, शांतिप्रेमी एवं सुसंवादी समुदाय है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के विकास किस तरह राज्य एवं उसके लोगों का कुल मिलाकर विकास माना जाता है गुजरात उसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ये बातें केवल कुमार्ग पर जाने वाली नहीं है अपितु उनका इरादा भी दुष्ट है ।

यह छाप एक आंशिक सत्य है कि गुजरात एक अत्यंत विकसित राज्य है एवं वही संपूर्ण सत्य के रूप में पेश किया जाता है। वास्तव में, पिछले दो दशक के दौरान गुजरात का विकास औद्योगिक एवं ढांचागत विकास के साथ जुड़ा हुआ है। 'स्वर्ण पट्टी' (गोल्डन कोरिडोर) क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्योगों कीड़ी-नगरा निकला है एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस पर ध्यान दिया गया है। इन सफलताओं ने 'रजत पट्टी' (सिल्वर कोरिडोर) की स्थापना को गति दी है एवं राज्य के अन्य भागों में इसी प्रकार के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं ।

इस प्रकार के विकास का पैटर्न काफी विघातक झुकाव व्यक्त करता है। यह काफी स्पष्ट हो रहा है कि विकास के लिए कोई लंबे समय का आयोजन नहीं किया जाता एवं उसके खर्च के बारे में कोई चिंता नही की जाती। उस पर तुरंत नजर पड़ने वाला असर यह है कि इन उद्योगों ने भारी मात्रा में जमीन, पानी (भूगर्भ जल एवं सतह जल दोनों) एवं हवा को प्रदूषित किया है। इस विकास की दिशा तय करने के लिए कोई नैतिक या सामाजिक जवाबदारी का ढांचा ही नहीं है।

जब सर्वोच्च न्यायालय प्रदूषक रसायन उद्योगों को प्रदूषण का निवारण करने या कारखाने बंद करने को कहता है तब उसकी हंसी उड़ाई जाती है। मजदूरों की व्यावसायिक स्थिति जोखमी एवं शोषणखोर होने का पता चलता है। १९९६ में 'ग्रीनपीस' द्वारा मुलाकात की गई एवं उन्होंने अपने अध्ययन में बताया है कि 'स्वर्ण पट्टी' रासायनिक टाइम बम में रूपांतरित हुई है। जमीन काफी तेजी से खेती के लिए अयोग्य बनती जा रही है एवं पशुचारण के लिए भी वह उपयोगी नहीं क्योंकि धीमे-धीमे वह जहरीली बनती जा रही है। नदियों का जल इस हद तक प्रदूषित हो गया है कि नदियों को पहचाना भी नहीं जा सकता। उनमें कोई जीव जी भी नहीं सकते। बोरवेल में रंगदार पानी आता है एवं लोगों को वह पानी पीना पड़ता है। इन क्षेत्रों में अकाल पड़ता है क्योंकि उनके प्राकृतिक संसाधनों का नाश हुआ है। इन सबको हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं।

सरकार द्वारा कुल मिलाकर विकास का जो ढांचा दिया गया है उसमें औद्योगिक एवं ढांचागत विकास पर जोर दिया गया है। उसमें सामाजिक क्षेत्रों के विकास की बलि ली गई है। इसी तरह से

खेती का विकास अत्यंत घटता बढ़ता रहा है, एवं समृद्धि मात्र सिंचित क्षेत्रों में ही दिखती है। विचित्र बात यह है कि खेड़ा एवं आणंद जिलों जैसे गुजरात के चरोतर क्षेत्र एवं दक्षिण गुजरात के सघन खेती के क्षेत्रों को अधिक से अधिक पानी मिल रहा है।

इसका कारण यह है कि वहां सिंचाई नहीं है, जलसंचय एवं जलस्त्राव विकास के अन्य कदम वहां नहीं उठाए गए। राजनीतिक नेता इसका उपाय 'गुजरात की जीवन रेखा' नर्मदा योजना को गिनाते हैं जिसकी पोल खुल गई है। आदिवासियों एवं अन्य समुदायों का विस्थापन, हजारों हैक्टेयर वन्य जमीन का विनाश एवं अन्य अनेक समस्याएं विकास के इस मॉडल में से पैदा हुई हैं। दक्षिण गुजरात के उकाई बांध जैसी अन्य सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित हुए लोग अब सूरत शहर में स्थाई रूप से झोंपड़पट्टीवासी बन गए हैं एवं अमानवीय परिस्थिति में जीते हैं ।

किसी भी राज्य का विकास राज्य की आबादी के कमजोर समुदायों या वर्गों की स्थिति के आधार पर मापना चाहिए। विकास के सूचकांक सामान्य तौर पर औसतन होते हैं एवं ये समुदाय इस दयनीय स्थिति में जीते हैं उन पर वे बहानेबाजी करते हैं। गुजरात के संदर्भ में देखें तो दलितों, आदिवासियों, अन्य पिछड़े वर्गों में भी सबसे गरीब लोगों, अल्पसंख्ययकों एवं इन समुदायों की महिलाओं के संदर्भ में विकास को देखना पड़ता है। स्थानीय स्तर की हकीकतें एवं अवलोकन यह बताते हैं कि गुजरात में विकास इन समूहों तक पहुंचा ही नहीं।

१. गुजरात में जातिवाद एवं सांप्रदायिकता भारत में शायद सबसे अधिक है। परंतु बिहार जैसे राज्य में यह जितनी दृश्यमान है उतनी गुजरात में नहीं है। यह घटक इतना व्यापक है कि अधिकांश प्रदेशों में दलित विरोध करने की स्थिति में भी नहीं हैं। बिहार एवं अन्य कई राज्यों के विपरीत गुजरात में जातिगत विचारधारा के विरुद्ध लड़ाई अभी शिशु अवस्था में है। तमाम क्षेत्रों में अस्पृश्यता का व्यवहार अभी भी होता है। फिर चाहे यह सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी, गांव का कुआ हो या गांव की शाला, गांव की पंचायत हो या गांव का मंदिर या फिर सार्वजनिक बस व्यवहार। गुजरात के अनेक भागों में सर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी अस्तित्व में है। दलित समुदायों में सबसे अधिक शोषित समाज वाल्मीकि समाज है। अहमदाबाद जिले के कई तालुकों में उन्हें यह काम करना पड़ता है। अधिक शोचनीय बात यह है कि इन पीड़ितों के प्रति जो अन्याय किया जाता है उसके संदर्भ में सभी चुप बैठे हैं एवं इससे प्रमाणित होता है कि परिस्थिति कितनी गंभीर है। जहां-जहां असहमति दर्शाई जाती है, विरोध किया जाता है, लोगों को संगठित करने का प्रयत्न किया जाता है वहां-वहां वर्चस्व वाली जातियों द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता है। कई बार स्थानीय नेता भी इसमें शामिल होते हैं ।

२. चुनाव के दौरान बिहार में जिस तरह बूथों पर कब्जा किया जाता है उस तरह गुजरात में मोटे तौर पर नहीं होता। परंतु वह अधिक सुशोभित रूप से होता है। दलितों को डराया जाता है एवं उनको मत देने से रोका जाता है।

३. अनियोजित उद्योगीकरण के कारण विकास के लिए अन्य परियोजनाओं से जमीन पर दबाव बढ़ा है। पहले भूमिहीनों एवं गरीबों को प्राकृतिक संसाधन एवं सार्वजनिक संपत्ति संसाधन प्राप्त होते थे। स्वयं सरकार ने भी सहकारी मंडलों के लिए एवं घर बनाने के लिए उन्हें जमीन दी थी। अब ऐसा नहीं होता। हाल ही में गुजरात में जमीन के विवाद के कारण दलितों पर अनेक अत्याचार हुए हैं। वैश्विकीकरण एवं उदारीकरण की ताकतों ने अधिक वेग पकड़ा है, तब इन समुदायों के पास बहुत कम विकल्प बाकी बचे हैं।

४. गुजरात की पूर्व पट्टी में आदिवासी समुदाय पिछड़ गए हैं। इन क्षेत्रों में काफी तेजी से वनों का नाश हो रहा है एवं जमीन का अपरदन हो रहा है। अब पानी भी बह जाता है जिससे उसके भी अभाव की परिस्थिति पैदा हुई है। धीमी गति से फिर भी स्थिर गति से आदिवासियों की जमीनें कम उत्पादक बन रही हैं क्योंकि खेती बिन-टिकाऊ बन रही है। वे शहरों में अथवा अधिक समृद्ध जगहों पर स्थलांतरण कर रहें हैं। अधिकांशतया वे वहां पर खेत मजदूरी करते हैं अथवा सार्वजनिक कामों में रोजगार प्राप्त करते हैं एवं वे वहां वर्ष में लगभग आधा समय बिताते हैं।

विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों के अमल में भ्रष्टाचार में होता है एवं उसकी अनदेखी की जाती है। आदिवासी जहां रहते हैं उस क्षेत्र में तमाम बड़े बांध बनाए गए हैं परंतु उनमें से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वे परियोजना केपीड़ित लोग बन कर रह गए हैं। आखिर में यह समुदाय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है एवं अपनी पहचान एवं संस्कृति बनाए रखने की भी लड़ाई लड़ रहा है।

५. गुजरात में महिलाओं की स्थिति पिछले कई दशकों के दौरान बिगड़ी है एवं गंभीर परिस्थिति पैदा हो रही है। गुजरात में शून्य से छः वर्ष की आयु के बालकों में लिंग प्रमाण ८८३:१००० है। यह समग्र देश में ९२७:१००० है। अहमदाबाद जिले में तो २००१ की जनगणना के अनुसार मात्र ८१३ लड़कियां हैं। महेसाणा में यह प्रमाण ७९७, गांधीनगर में ८१६ एवं राजकोट में ८४३ है। अहमदाबाद जिले में महिलाओ में साक्षरता दर ६० प्रतिशत से अधिक है, परंतु डांग, दाहोद एवं नर्मदा जिलों में यह प्रमाण ३५ प्रतिशत से भी कम है। जबकि इन जिलों में बालकों में लिंग प्रमाण ९५० से अधिक है।

६. गुजरात में जलकर एवं आत्महत्या से मृत्यु पाने वाली महिलाओं का प्रमाण काफी ऊंचा है। १४ से ३० वर्ष की महिलाओं में जलकर मृत्यु पाने वाली महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। इस बारे में जानकारी साथ में दी गई तालिका में दी गई है। इस तालिका में जो जानकारी दी गई है उसके संदर्भ में यह कह सकते हैं कि ५७ प्रतिशत मृत्यु स्त्रियों के जल जाने के कारण होती हैं, १८ प्रतिशत मृत्यु जहर पीने से होती हैं, ६ प्रतिशत मृत्यु अन्य कारणों से होती है एवं मात्र १५ प्रतिशत मृत्यु वास्तव में दुर्घटना के कारण से होती है। हर रोज ८ से १० मृत्यु दहेज के कारण होती हैं।

१९९५ के आंकड़ों के अनुसार गुजरात में १५२३ महिलाओं ने आत्महत्या की थी। इसमें केवल अहमदाबाद में ही १७५ महिलाओं ने आत्महत्या की थी। समग्र गुजरात में से अहमदाबाद जिले में १७ प्रतिशत महिलाओं ने आत्महत्या का प्रयास किया था। आत्महत्या से मृत्यु के बारे में गुजरात का क्रम समग्र देश में सबसे पहला है। समग्र भारत में सबसे विकसित राज्यों में गुजरात का स्थान है परंतु इसी राज्य में ९९ प्रतिशत गर्भपात स्त्री भ्रूण हत्या के कारण ही होते हैं ।

७. अनुभव यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की मात्रा काफी अधिक है एवं प्रच्छन्न बेकारी की मात्रा अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों में एवं कसबों में लगातार स्थलांतरण होता रहता है। इससे इन समुदायों में टिकाऊ जीवन निर्वाह की समस्याएं महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं। वे भूमिहीन हैं, उनकी जमीनें उनके पास से जा रही हैं एवं प्रणालीगत विकल्प घट रहे हैं। सरकार बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं इन्फोटेक कंपनियों को निवेश करने के लिए आकर्षित कर रही है।

अनिवासी गुजराती निवेशक प्रगतिशील एवं आधुनिक गुजरात की छाप पैदा कर रहे हैं एवं इनमें पटेल एवं वाणिया जैसे समुदायों का योगदान काफी अधिक है। मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था एवं राजनीति के द्वारा एक ऐसा संदेश दिया गया है कि अब विकास किसी भी प्रकार की दिक्कत के बिना कर सकते हैं कि जिसमें गरीब समुदायों की कोई बिसात नहीं है। राजनीतिक दल पहले गरीबों के लिए जो संभाषण करते थे वह भी अब दिखाई नहीं देता। विस्थापित मजदूरों को सुसज्ज करने के लिए किसी भी तरह का कार्यक्रम इस बाजारलक्ष्यी अर्थव्यवस्था में दिखाई नहीं देता। गरीबों को ऋण के लिए कोई सहूलियत प्राप्त नहीं होती एवं बैंकों ने अब गरीबों को ऋण देना बंद कर दिया है क्योंकि स्पर्धात्मक बाजार में उसे ऋण देना लाभकारी नहीं रहा।

यह बहुत स्पष्ट है कि विकास एक ऐसा शब्द बन गया है कि जिसके साथ वंचितता अथवा उपेक्षितता स्वाभाविक रूप से जुड़ गया है। समाज का काफी बड़ा वर्ग विकास से वंचित रह गया है। इन समूहों एवं समुदायों से संबंधित बातें राष्ट्रीय कार्यसूची में स्थान नहीं पाती एवं उनके प्रति बहुत कम ध्यान जाता है। असहाय वर्ग असहाय ही रहे हैं एवं विकास की वर्तमान व्यवस्था उन्हें और अधिक असहाय बनाती है।

गुजरात में हिंसा का स्वरूप एवं उसके लक्षण

गुजरात में २००२ के दंगों के दौरान जो हिंसा की गई उसके फलस्वरूप एवं मूलभूत लक्षणों के बारे में नीचे की बातें बता सकते हैं:

(१) वे पूर्व आयोजित थे। वास्तविकताओं की जांच करने वाली तमाम रिपोर्टें यह बताती हैं कि राज्य के तमाम जिलों में २८.२.०२ को हिंसा का जिस खुले दौर की शुरूआत हुई थी उससे पहले लगातार धिक्कार प्रेरक प्रवचन लंबे समय तक चले थे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम जन्म भूमि के मुद्दे पर कारसेवकों को एकत्र करने कि लिए जो अभियान चलाया गया था उसके साथ ही इस बात को जोड़ सकते हैं । गोधरा में जो हत्याएं हुई उसका सरकार ने तत्काल जो प्रतिभाव दिया वह यह था कि यह पूर्व निर्धारित आतंकवादी हमला था।

(२) गुजराती मीडिया ने गलत एवं विवादास्पद रिपोर्ट दी जिन्होंने लोगों में रोष पैदा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई । प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया ने बाद में इन संचार माध्यमों को फटकार भी लगाई थी ।

(३) अहमदाबाद में कार सेवकों के शवों कों लाने के लिए मुख्य मंत्री ने जो घोषणा की थी वह राज्य के गुप्तचर विभाग के प्रमुख द्वारा दी जाने वाली चेतावनी के विरुद्ध थी ।

(४) गुजरात सरकार के प्रमुख अधिकारियों की बैठक में मुख्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से यह बताया था कि गुजरात के लोगों को उनकी भावनाएं व्यक्त करने देना चाहिए। अर्थात राज्य के सहयोग के साथ हिंसा करने के लिए जानबूझ कर छूट का खुला दौर दिया गया था।

(५) २८.२.०२ को विश्व हिंदू परिषद ने बंद का ऐलान किया। गुजरात सरकार ने पूरा समर्थन किया था। अनेक स्थलों पर सामूहिक हत्या, खुलमखुल्ला बलात्कार, लूट एवं आगजनी की घटनाएं हुई थी यह बात अब सबको पता है।

(६) जिस प्रकार की यौन हिंसा की गई थी वह मुस्लिम समुदायों को अपमानित करने के लिए की गई थी । गुजरात के इन दंगों के दौरान यौन हिंसा के अकल्प्य स्वरूप देखने में आए थे। मुस्लिम महिलाओं ने काफी सहन किया। २००२ के विधान सभा के चुनाव के पीड़ित महिलाओं को बलात्कारियों द्वारा फिर से बलात्कार की धमकियां दी गई थी। आज भी वे इन कृत्यों के बारे में शायद ही शरमाते हैं एवं उनकी याद ताजा रखने के लिए अभद्र गीत गाए जाते हैं । गुजरात के मुसलमानों को शांत कर देने के लिए पुलिस भी इस प्रकार की धमकियों का उपयोग करती है ।

(७) शहरों में मुसलमानों की भागीदारी अथवा उनके स्वामित्व की व्यापारिक इकाइयों को पहचान लिया गया था । आधिकारिक सूचियों का उपयोग उनके लिए किया गया था एवं इन स्थलों को नष्ट किया गया था।

(८) काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम मस्जिदों एवं दरगाहों को नष्ट किया गया था।

(९) पुलिस दंगाइयों के साथ मिल गई थी उसका दस्तावेजीकरण उपलब्ध है। लगभग तमाम मामलों में पुलिस भीड़ का नेतृत्व करती थी, भीड़ की रक्षा करती थी एवं स्वरक्षण करने वाले मुसलमानों पर गोलीबारी करती थी। अग्रणी पुलिस अधिकारी भाजपा एवं विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से आदेश लेते थे, न कि उनके ऊपर के अधिकारियों से।

तिरस्कार की राजनीति

१. कांग्रेस का पतन एवं सामाजिक जुड़ाव का कमजोर पड़ना

कांग्रेस की परिस्थिति बिगड़ती गई एवं समाज के हरेक वर्ग के बढ़ते असंतोष के राजनीतिक रूप से सामना करने की उसकी अक्षमता सामने आती गई उसके लिए राजनीतिक एकत्रीकरण के वैकल्पिक स्वरूपों की बुनियाद पड़ी। कांग्रेस के चुनाव का संचालन जातियों की पंचायतों की गिनती पर काफी आधार रखता था। प्रादेशिक एवं ग्रामीण भद्र वर्ग पंचायतों एवं सहकारी मंडलों में स्थान रखता रहा था एवं सत्ता भोगता रहा था।

१९७० के दशक के मध्य तक उच्च वर्गों का नेतृत्व करने वाले मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं अधिक से अधिक मजबूत होती गई एवं १९७४ में नवनिर्माण के आंदोलन में वह अभिव्यक्त हुई। संकट के बाद कांग्रेस के वोट बैंक राजनीति में पुनरुत्थान देखने को मिला।

उसमें झीणाभाई दरजी एवं माधवसिंह सोलंकी ने खाम (क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम) की जो व्यूहरचना अपनाई थी उसका परिणाम देखने को मिला था। परंतु उसमें काफी कम समय में विरोधाभास पैदा हो गए । लोकरंजनकारी राजनीति अपनी चरमसीमा पर पहुंचा था एवं मंडल आयोग के कारण आरक्षण के समूह में बढ़ावा हुआ था। परंतु यह तो एक लटकती गाजर ही थी। असमान लड़ाई चालू थी एवं असमान आर्थिक वृद्धि तथा निम्न मानव विकास काफी बड़ी मात्रा में उस पर प्रभाव डालता था।

गुजरात की हिंसा में राज्य की भागीदारी एवं सांठगांठ

गुजरात में २००२ के दंगों के दौरान जो हिंसा की गई थी उसमें राज्य की भागीदारी एवं सांठगांठ व्यापक मात्रा में दिखती है। सोमनाथ वत्स, अरविंद नारायण एवं प्रिया पिल्लई द्वारा २००७ में गुजरात के दंगों के बारे में एक अप्रकाशित नोट तैयार किया गया है वह गुजरात की हिंसा के स्वरूप के बारे में अलग ही प्रकाश डालता है। राज्य द्वारा जो कदम उठाए गए थे उनके बारे में इस नोट में जो लिखा गया उसका सारांश निम्नानुसार है:

गुजरात की हिंसा खास कर के राज्य की भागीदारी वाली हिंसा थी। मुसलमानों के जीवन, गौरव, जीवननिर्वाह, रोजगार- धंधों एवं संपत्ति पर पूर्व-निर्धारित एवं आयोजन पूर्वक हमला किया गया था। उनके धर्मस्थानों पर एवं सांस्कृतिक स्थलों पर चुन-चुन कर हमले किए गए थे। मुसलमानों के आर्थिक एवं सामाजिक बहिष्कार करने के बारे में खुल्लम-खुल्ला प्रोत्साहन दिया गया था एवं आज भी कई स्थलों पर बहिष्कार चालू है।

मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाकर हमले किए गए थे। मुसलमानों की खेती की छोटी- मोटी जमीन भी वर्चस्व वाले समुदायों ने हजम कर है। मुसलमानों के जीवन निर्वाह छीन लिए गए हैं एवं इस समुदाय को आर्थिक रूप से तोड़ डालने की स्पष्ट साजिश चल रही है। राज्य द्वारा जो कृत्य किए गए थे अथवा राज्य के मिलीभगत से जो कृत्य किए गए थे उनकी जानकारी निम्नानुसार है:

(१) विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा भूतकाल में जो अनेक निवेदन किए गए थे वे लगातार यह प्रस्थापित करते हैं कि वे मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध ही थे। मुस्लिम समुदाय पर शाब्दिक एवं शारीरिक हमला करने के लिए निशाना बनाया गया था। समुदाय पर भौतिक एवं आर्थिक हमला करने के लिए तथा सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार करने के लिए लोगों को उत्तेजित किया गया था।

(२) विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा गुजरात में यह हिंसा की गई थी।

(३) मुस्लिम समुदाय की महिलाओं पर यौन हिंसा की गई थी एवं उनके साथ बलात्कार किया गया था, आर्थिक विनाश को नियंत्रित किया गया, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को नष्ट किया गया, पुनर्वास का प्रतिकार किया गया ।

(४) मुसलमानों के जान-माल की रक्षा के लिए कोई प्रतिरोधक कदम नहीं उठाए गए

(५) भूल करने वाले पुलिस अधिकारियों या दलों के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाए गए। पीड़ितों द्वारा उनका नाम लेने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

(६) निजी तौर पर जो राहत शिविर चलते थे उन्हें बंद करने की धमकियां लगतार दी जाती रही ।

(७) लगातार धिक्कार प्रेरित करने वाले प्रवचन दिए जाते थे एवं मुस्लिम समुदाय को लगातार गाली दी जाती थी ।

(८) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का लागू करने से भी इनकार कर दिया गया ।

(९) राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्थाओं में राज्य संपूर्ण रूप से विफल गया।

(१०) मीडिया एवं अन्य संगठनों की उत्तेजना के बदले कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाए गए ।

(११) विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के नाम एफआईआर में होने के बावजूद आरोप में से नाम निकाल दिए गए एवं इस तरह से फौजदारी जांच पर नाजायज प्रभाव डालने का प्रयास किया गया।

१९८० के समग्र दशक के दौरान गुजरात में लगातार सामाजिक दावानल उबलता रहा था । खाम संधि के कारण १९८० के दशक के दौरान कांग्रेस सलामत रूप से सत्ता पर रह सकी एवं उसने परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण मंत्रालयो में से पाटीदारों तथा उच्च जाति का संपूर्ण सफाया हो गया था। परंतु उच्च जातियां फिर एक बार एकत्र हो रही थी। प्रत्याघाती राजनीतिक व्यूहरचनाएं उनका स्थान संभाल रही थी।

१९८१ में आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ उन्होंने सामाजिक न्याय पर आधारित कल्याणलक्ष्यी राज्य की बुनियाद पर ही चोट की थी। दलितों एवं पिछड़े वर्गों विरोधी हिंसा एवं भाषा किसी भी तरह की रोकटोक के बिना फैली। व्यवसायी कॉलेजों में आरक्षण श्रेणी में आने वाले विद्यार्थियों को अपने साथी विद्यार्थियों द्वारा की गई हिंसा का किार बनना पड़ा एवं उच्च जाति के शिक्षकों ने उनसे भेदभाव किया तथा उसके लिए अनेक विद्यार्थियों के कैरियर पर पूर्णविराम लग गया। दलितों के एक संगठन 'दलित पेन्थर्स' इस समय के दौरान काफी मजबूत हो गया था। यह संगठन प्रतिबद्ध सरकारी कर्मचारियों का बना था। इस संगठन ने आरक्षण विरोधियों के सामने मजबूत प्रतिकार किया था। हालांकि यह प्रतिकार अल्पजीवी था। राज्य की राजनीति ने इसके बाद ऐसा मोड़ लिया कि इस तरह के तमाम प्रतिकार लगभग अप्रस्तुत बन गए। गुजरात में लगभग हर स्तर पर संघ परिवार सक्रिय था।

'खाम' व्यूहरचना की सफलता के दिनों में भी कांग्रेस कमजोर पड़ रही थी जो दिखाई देता था। हालांकि, इस व्यूहरचना का चुनाव में लाभ मिला था। सामाजिक जुड़ाव टूट जाने की शुरूआत हो चुकी थी एवं वह आरक्षण विरोधी आंदोलन में दिखाई देता था। सामाजिक इंजीनियरी के स्वरूप के लिए दक्षिणपंथी ताकतें तैयारी कर रही थी। पाटीदारों एवं उच्च जातियों के रोष के कारण एवं कांग्रेस के अंदर के असंतोष के कारण माधवसिंह सोलंकी को आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान १९८५ में इस्तीफा देना पड़ा था। अमरसिंह चौधरी गुजरात के प्रथम आदिवासी मुख्य मंत्री बने थे परंतु उनके नेतृत्व के अंतर्गत इस आंदोलन ने कांग्रेस का मृत्युघंट बजा दिया था। जातियों की पहचान से बाहर निकले वाली किसी विचारधारा की आवश्यकता थी, किसी ऐसे प्रतीक की जरूरत थी जो सभी जातियों को एक धागे से बांधे एवं इसके लिए किसी सर्वसामान्य दुश्मन की भी जरूरत थी।

२. हिंदुत्व का उदय

हिंदुत्व की राजनीति एक प्रत्याघाती राजनीति है जिसने तब-तब इतिहास के हरेक काल में मजबूती प्राप्त की है जब-जब उच्च जातियों एवं मध्यम वर्गों को प्रत्याघाती बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। १९६९ में गुजरात में जब दंगे हुए थे तब रेड्डी जांच आयोग ने हिंदू महासभा एवं जनसंघ की भूमिका स्पष्ट की थी। १९७४ में जब नवनिर्माण आंदोलन हुआ था तब उसे एक ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ था। १९७५ में जब जनता मोर्चा सत्ता में आया तब जनसंघ उसका भाग था। जनसंघ ने उस समय विधान सभा में १० प्रतिशत मतों के साथ १८ सीटें प्राप्त की थी। आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ तब तक भाजपा की रचना हो चुकी थी एवं विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल ने गुजरात में जड़ें लगा दी थी। स्वामीनारायण संप्रदाय एवं स्वाध्याय परिवार हिंदूत्व के सामाजिक बुनियाद खड़ी करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी । इन संप्रदायों में मध्यम वर्ग एवं उच्च जाति के भद्र वर्ग का अंकुश था। दलितों, आदिवासियों, मछलीमारों एवं अन्य पिछड़े समूहों ने इस सुधारवादी हिंदू एजेन्डा में समाने के लिए प्रयत्न १९८० एवं १९९० के दशक के दौरान किया गया था। आशाराम बापू, मोरारी बापू एवं पांडुरंग आठवले आदि लोग हिंदूत्व के सामाजिक बुनियाद डालने की इस प्रक्रिया में अपना योगदान दिया है। १९९० के दशक में हिंदूत्व के राजनीतिक आर्थिक रीढ़ अनिवासी गुजराती बने रहे।

गुजरात में हिंदूत्व को मजबूत बनाने में यात्राओं की राजनीति ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। १९८३ में गंगाजल एकात्मता यात्रा का आयोजन किया गया था। १९९० में लालकृष्ण अडवाणी की अयोध्या की रथयात्रा भी सोमनाथ से शुरू हुई थी। अतः ऐसा कहने की शायद ही जरूरत है कि चिमनभाई पटेल के मुख्य मंत्री पद पर रहते हुए ही भाजपा ने सत्ता में भागीदारी की थी। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ कर ही नहीं देखा ।

हिंदुत्व का अलख जगाती इन यात्राओं की राजनीति में अनेक प्रकार के धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों का उपयोग किया गया

था। गंगाजल एवं रामशिला पूजन आदि इसमें महत्वपूर्ण थे। मुसलमान राष्ट्र विरोधी है एवं अपने अंदर रहता दुश्मन है ऐसा इन माध्यमों के द्वारा लगातार प्रस्थापित किया जाता रहा ।

३. पहचान की समस्या

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो झुकाव रहे हैं उनका प्रतिबिंब एक या दूसरे स्वरूप में गुजरात में पड़ता रहा है। भारत में मध्यम वर्ग की बढ़ती आशाओं एवं आकांक्षाओ का प्रतिबिंब नए आर्थिक मंत्र में दिखा है। दूसरी ओर जाति एवं वर्ग आधारित पुरानी लड़ाई अधिक तीव्र, घातक एवं हिंसक बन रही है। धार्मिक एवं सांप्रदायिक स्तर पर भारत के समाज का ध्रुवीकरण हुआ एवं सामाजिक तथा आर्थिक विरोधाभास उसके अंदर दब गए।

अल्पसंख्यकों को राष्ट्र विरोधी मानकर उनकी बादबाकी की जाती है। तमाम प्रकार के असंतोष एवं हताशाएं राष्ट्र विरोधी माने जाने वाले अल्पसंख्यकों की ओर चले गए। इससे स्त्री-पुरुष भेदभाव एवं जातियों के बीच विरोधाभासों की तरफ से ध्यान दूसरी ओर खिंच गया। यह एक प्रकार से समानगुणी सर्वव्यापी हिंदू समाज एवं उसकी पहचान पैदा करवाने का प्रयास था।

इसके लिए सांस्कृतिक आक्रमण नामक विचार का उपयोग किया गया। वंशीय पहचान पर कटाक्ष किया गया, इतिहास का पुनर्लेखन किया गया एवं गलत रूप से उसका अर्थघटन किया गया। राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रतीकों को प्रविष्ट किया गया एवं समग्र पीढ़ी के मानस को इसी रूप में आकार दिया गया।

संघ परिवार के संगठन दलितों एवं आदिवासियों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई के तमाम स्वरूपों को साफ कर देने का प्रयत्न किया है। हिंदुत्व के एजेन्डे में यह एक अनिवार्य भाग है। दलितों एवं आदिवासियों में काम करने के लिए संघ परिवार के संगठन ने काफी मात्रा में निवेश किया है इस बारे में कोई आश्चर्य नहीं होता।

हिंदुत्ववादी ताकतें हमेशा अंबेडकरवादी संवाद के उपयोग करवाने का प्रयत्न किया है एवं इस तरह से उन्होंने दलितों के अपने हिंदुत्व के एजेन्डा के भाग बनने का प्रयास किया है। अंबेडकर ने दलितों की पहचान यानि राजनीतिक पहचान का समीकरण तैयार किया था। इस बाबत हिंदुत्व के मूल विचार के साथ अनिवार्य रूप से मेल नहीं खाता था। इससे इस विचार को दबा देना हिंदुत्व के एजेन्डा का भाग बन गया था।

आदिवासियों को वनवासी के रूप में पहचाना जाता है। उनकी महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं को अतिशयोक्ति भरी रूप से भव्यता में दर्शाया गया एवं इस तरह से महिलाओं की पसंदगी की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। वनवासी कल्याण केन्द्र एवं सरस्वती शिशु मंदिर आदि द्वारा आदिवासियों का संस्कृतिकरण करने का प्रयत्न किया गया एवं उनके लिए आर्थिक संसाधन का अनिवासी गुजरातियों से प्राप्त किया गया। इस संदर्भ में 'सेवाभारती' की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है।

अहमदाबाद में दलितों एवं मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक माहौल संपूर्ण रूप से अलग प्रकार का रहा था। वैचारिक आक्रमण बड़ी मात्रा में होता रहा। १९८० के दशक में लगभग ५० कपड़ा मिलें बंद हो गई एवं उसके परिणामस्वरूप दलितों की गरीबी में वृद्धि हो गई एवं वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में आकस्मिक मजदूर बन गया। १९८० में जब आरक्षण विरोधी आंदोलन हुआ तब मुसलमानों ने दलितों को अपना संपूर्ण समर्थन दिया था। उसेका कारण यह था कि वे कपड़ा मिलों में साथ-साथ काम करते थे एवं छंटनी के परिणामस्वरूप एकसी समस्या का सामना करते थे।

१९८० के दशक के अंत तक दलितों एवं मुसलमानों के लिए आर्थिक एवं राजनीतिकतथा सामाजिक स्थान सिकुड़ता गया था। सांप्रदायिक दंगे मुख्य रूप से दलितों एवं मुसलमानों के बीच दंगे बन गए थे। १९८० एवं १९८५ में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनमें संघ परिवार हिंदू पहचान ने आगे रख कर एवं दलितों की हिंदू पहचान के मुद्दों को स्पष्ट किया था। दलितों ने इस पहचान को स्वीकार कर लिया। दलितों को इसके परिणामस्वरूप ऐसा लगा कि हिंदू समाज में सामाजिक श्रेणीगत व्यवस्था में ऊपर जाने का अवसर मिला है। इसके परिणामस्वरूप उन्हें यह भी लगा कि ब्राह्मण, वाणिया एवं पाटीदार जैसे शक्तिशाली एवं समृद्ध लोगों के साथ के संबंधों से भी उन्हें लाभ होगा। इस रूप से हिंदुत्व की तोप

हिंसा के चरण, लक्षण एवं प्रतिरोधात्मक कदम

१९९६ में जनोसाइड वॉच के प्रमुख ग्रेगोरी स्टेन्टन द्वारा अमेरिका के विदेश विभाग के समक्ष एक प्रस्तुति में वंश विनाश (जेनोसाइड) के आठ चरण बताए गए थे। वे यह बताते हैं कि इन चरणों के बारे में सूचना देना संभव है परंतु उन्हें शायद ही टाला जा सकता है। अफ्रीका के देश रवान्दा में जब वंश विनाश हुआ तब उनके विश्लेषण के संदर्भ में ये चरण पेश किए गए थे।

चरण	लक्षण	प्रतिरोधात्मक कदम
१. वर्गीकरण	लोगों को हम एवं तुम में विभाजित कर देते हैं।	सर्वव्यापी संस्थाओं का विकास करना चाहिए ताकि इस तरह के भेदभाव को दूर किया जा सके ।
२. प्रतीकात्मकता	जिन समूहों से दुश्मनी है उन पर कुछ प्रतीक बैठा दिए जाते हैं एवं उनमें धिक्कार जोड़ा जाता है ।	धिक्कार प्रेरित करने वाले प्रतीकों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं जिस तरह धिक्कार प्रेरक प्रवचनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
३. अमानवीयकरण	एक समूह दूसरे समूह की मानवीयता को नकारता है यह समूह दूसरे समूह के सदस्यों प्राणियों, जंतु या रोग के साथ तुलना करते हैं ।	स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय नेताओं को धिक्कार प्रेरक प्रवचन के उपयोग की निंदा करनी चाहिए एवं सांस्कृतिक रूप से उसको अस्वीकार करना चाहिए । है। । जो नेता ऐसे धिक्कार को उत्तेजित करते हों उनके अंतरराष्ट्रीय दौरों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए एवं उनके विदेशी धन को स्थगित कर देना चाहिए ।
४.संगठन	ऐसी हिंसा हमेशा संगठित होती है। खास सेना की इकाइयों को अथवा लड़ाकों कई बार तालीम दी जाती है एवं उन्हें हथियार दिए जाते हैं ।	'संयुक्त राष्ट्र' द्वारा इस प्रकार की कत्लेआम में शामिल देशों या नागरिकों एवं सरकारों पर शस्त्र प्रतिबंध लगाना चाहिए एवं प्रतिबंध उल्लंघन करने पर जांच के लिए आयोग नियुक्त करना चाहिए।
५. ध्रुवीकरण	धिक्कार फैलाने वाले समूह अपनी तरफ से ध्रुवीकरण के लिए लगातार प्रचार करते हैं ।	उदारमतवादी नेताओं को अथवा मानव अधिकार समूहों को सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए एवं सहायता करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाना करके अतिवादियों का विरोध करना चाहिए ।
६. तैयारी	पीड़ितों को पहचाना जाता है एवं उन्हें उनकी वंशीय या धार्मिक पहचान के आधार पर अलग किया जाता है ।	ऐसे समय पर आपातकालीन परिस्थिति की घोषणा करना चाहिए ।
७. उन्मूलन	हत्या करने वालों का उन्मूलन करना चाहिए क्योंकि वे पीड़ितों को मनुष्य नहीं गिनते ।	ऐसे समय पर काफी तेजी से एवं सबल सशस्त्र दखल से ही हिंसा को रोका जा सकता है। सुरक्षित क्षेत्रों को पहचानना चाहिए अथवा निर्वासितों को भगा ले जा सकें वैसी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय सशस्त्र बल बड़ी मात्रा में खड़ा करना चाहिए।
८. इनकार	गुनाह करने वाले इस बात को स्वीकार ही नहीं करते कि उन्होंने कोई गुनाह किया है ।	ऐसे इनकार का जवाब उसे सजा करके ही दिया जा सकता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय अदालतें या राष्ट्रीय स्तर की अदालतों की स्थापना भी कर सकते हैं ।

में दलितो के गोले के रूप में उपयोग करने की शुरूआत हो चुकी थी ।

आदिवासी क्षेत्रों में भी सांस्कृतिक आक्रमण का मुद्दा हमेशा आगे ही रहा था। संघ परिवार के संगठन आदिवासियों में धार्मिक स्तर पर विभाजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया था । ईसाई आदिवासियों एवं हिंदू आदिवासियों को विभाजित कर उनके बीच संघर्ष कराने का प्रयास शुरू हुआ। एक अन्य व्यूहरचना यह थी कि अभी तक आदिवासी जिन हिंदू त्योहारों से अलग थे वे दिवाली एवं नवरात्री जैसे त्योहार आदिवासियों तक ले गए। इस रूप से सांस्कृतिक प्रक्रिया द्वारा आदिवासियों को मुख्य धारा के हिंदुओं में लाने का प्रयत्न करने में आया। आदिवासियों पत्थरों एवं वृक्षों को पूजते थे उसके बदले हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां लगा दी गई।

डांग जैसे क्षेत्रों में क्रिसमस के समय हिंसा बहुत सामान्य बात बन गई। ईसाई आदिवासियों के देवालयों पर या गावों पर हमला सामान्य बात बन गई। इस समग्र व्यूहरचना में हिंसा एक महत्वपूर्ण भाग थी। हर वर्ष क्रिसमस के समय यह खतरा होता ही है। संघर्ष पैदा करने के संदर्भ में एक अन्य व्यूहरचना भी अपनाई गई। आदिवासियों कि लिए घर वापसी कार्यक्रम अपना गया। उसमें ईसाई आदिवासियों को पुनः हिंदू बनाने कि लिए कार्यक्रम किए गए। इसमें ऐसी धारणा कर ली गई थी कि आदिवासी तो हिंदू ही हैं। इस रूप से धीमे-धीमे लेकिन स्थिर गति से संघ परिवार के संगठनों ने आदिवासी समुदायों में जो वे चाहते थे उन विरोधाभासों को खड़ा कर दिया। २००२ के दंगों के लिए इस तरह से नींव तैयार की गई थी।

४. मुसलमानों की स्थिति

१९९२ में बाबरी मस्जिद के के बाद दंगों में मुसलमान बिल्कुल अलग पड़ गये थे। हिंदू बहुल क्षेत्रों में से मुसलमानों का स्थलांतरण एवं हिंदू बहुल क्षेत्रों में जाने केलिए हिन्दुओं का स्थलांतरण सामान्य बात बन गई। हरेक दंगे के बाद इस प्रकार की परिस्थित चालू रही है। दुख की बात यह है कि मुस्लिम भद्र वर्ग हमेशा अपने को हिंदू ब्राह्मण भद्र वर्ग के समकक्ष मानता रहा है। परंतु हिंदू को तो एक दुश्मन पैदा करना ही था। मुसलमान राष्ट्र विरोधी, गुनहगार, आंतकवादी आदि हैं एवं विश्वसनीय नहीं हैं ऐसा कहना जरूरी था। १९९०-९२ के समय के दौरान यह प्रक्रिया संपूर्ण हो गई थी। समग्र पश्चिम अहमदाबाद में यही भद्र वर्गीय मानसिकता वाला हिंदू वर्ग पैदा हो गया था। भद्र वर्ग के साथ जुड़े विविध पिछलग्गू अदृश्य हो गए थे। मुसलमान या हिंदू द्वारा इस तरह के स्थलांतरण के बारे में हिंदू वर्ग लगभग निश्चिंत था।

इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदू युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी पैदा हुई कि जो मुसलमानों के साथ कोई भी सीधा संपर्क नहीं रखती थी। संघ परिवार ने विविध चोपानियां, सीडी एवं पुस्तकों सहित साहित्य द्वारा मुस्लिम विरोधी प्रचार तीव्र किया। आवास अलग हो गये जिससे शैक्षणिक संस्थाओं में भी वे अलग हो गए। आज ऐसी शालाएं बहुत कम हैं जहां हिंदू एवं मुस्लिम विद्यार्थी साथ अध्ययन करते हों।

१९९२ में जो दंगे बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए थे वे अनेक रूप से २००२ में हुए सांप्रदायिक दंगों की रिहर्सल थी। किसी एक कौम के विरुद्ध भयानक हिंसा का मूलभूत सिद्धांत सूरत में उस समय दंगों में दिखा था। बालकों की हत्या, सामूहिक बलात्कार, पुलिस की मिलीभगत निर्दयता एवं इन सबके बारे में आनंद मानो कि एक लघु प्रयोगशाला के रूप सूरत में हुआ था। २००२ में यह सब बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। हिंसा के परिणामस्वरूप जो राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए थे वे हिंदुत्ववादी विचारधारा कि लिए बहुत स्पष्ट थे। १९९० के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी। १९९१ में लोक सभा में भी भाजपा को बड़ी जीत प्राप्त हुई थी एवं कांग्रेस अब भी अपना स्थान फिर से प्राप्त नहीं कर सकी।

जिसको दुश्मन माना जाता है उसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए उसका रिहर्सल इस रूप से सूरत में हो चुका था। हिंसा एवं धिक्कार का राजनीतिक मूल्य प्रस्थापित हो चुका था। यह समझ में आ गया था एवं उसका अनुभव किया गया था। संपूर्ण राजनीतिक सत्ता के साथ अब उसका व्यवहार बाकी था जो २००२ में हुए दंगों के दौरान देखा जा सकता हैं। हिंदुत्व के आधार पर किस तरह

लोगों को एकत्र कर सकते हैं उसका जो पाठ सीखने को मिला था उसका अमल नरेन्द्र मोदी की सरकार ने २००२ में समग्र गुजरात में बड़े पैमाने पर किया था।

उपसंहार

इस लेख में गुजरात में पिछले कई दशकों के दौरान राजनीति में संघर्ष को किस तरह संस्थागत स्वरूप दिया गया है उसका तंतु जोड़ने का प्रयास किया गया है। राजनीति में वास्तविक संघर्ष से दूसरी तरफ ध्यान मोड़ने एवं उसको टालने की चुनौती हमेशा होती है। बहुसंख्यक जनता को लगातार पद्धतिसर अलक रखकर इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं।

उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व हमेशा रहा है एवं उसे चुनौति देने के लिए विविध प्रकार के रास्ते अपनाए गए हैं। खाम सिद्धांत अनुसरण करके लोकरंजनकारी राजनीति अपनाई गई है। उद्योगीकरण एवं शहरीकरण से पैदा हुई असमानताएं उसमें छिपाई गई। १९८० के दशक में आरक्षण विरोधी आंदोलन में उपेक्षित वाले समुदायों के जो चुनावगत लाभ थे उन्हें इसी तरह से हिंदुत्व का संयोजन अस्तित्व में आया उसने एक खास पहचान पैदा करी एवं कोई एक ही समुदाय को लक्ष्य में रखकर दुश्मन का सर्जन किया ।

स्पष्ट रूप से हिंदुत्व के तर्क २००२ में चुनाव में सफल रूप से काम लगा परंतु आंतरिक विरोधाभास अभी भी पृष्ठ भूमि में खदबदा रहे हैं। नव-उदारमतवादी एजेन्डा आगे बढ़ाने की चुनौति खड़ी ही है एवं इससे वायब्रेन्ट गुजरात के लोगों को विकास के सपने बेचे जाते हैं। २००७ के चुनावों अधिक समय यह साबित किया है कि दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए हिंसा है एवं उसके लिए विकास का गीत गाना पड़ता है ।

गुजरात सरकार द्वारा चुनाव की राजनीति में यह सिद्ध किया गया कि शुद्ध विचारधारा कुछ भी अर्थ नहीं है। आरएसएस एवं विश्व हिंदू परिषद की जो शुद्ध हिंदुत्व विचारधारा है उसको लगातार इनकार कर के भी चुनाव में सफलता प्राप्त कर सकते हैं यह माना जाता है। यह अधिक से अधिक स्पष्ट हो रहा है कि आंतरिक एवं बाह्य संघर्ष की व्यूहरचना नव-उदारमतवादी एजेन्डा को अमल कर सकते हैं ऐसा नहीं है यह गुजरात सरकार स्पष्ट रूप से प्रस्थापित करना चाहती है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं।

पृष्ठ 9 का शेष

१०. अंतरराष्ट्रीय शांति एवं न्याय को प्रोत्साहन

दुनिया भर में जो घटनाएं हो रही हैं उनका पूरे समाज पर जो असर पड़ रहा है हम उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। यह एक हकीकत है कि अमेरिका की ९/११ की घटना के बाद दुनिया भर में मुसलमानों को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है कि हम सभी तरह की हिंसा की निंदा करें । शांतिपूर्ण समाधानों एवं समझौतों के संस्कारां को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए एवं इसके लिए कठोर परिश्रम करने की जरूरत है। इसके लिए हमें संघर्षों के समक्ष स्थाई बदलाव लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है।

अलबत्ता, व्यूहरचनाओं की यह कोई संपूर्ण सूची नहीं है । हमें अनेक व्यूहरचनाएं खोजने एवं विचारों की बहुलता को प्रोत्साहन देना चालू रखना पड़ेगा। संस्कृतियों, धर्म एवं अभिव्यक्तियों आदि की बहुलता को प्रोत्साहन देने के लिए भी यही करना पड़ेगा। अन्यथा इतिहास साक्षी है कि अलगाव, उपेक्षा एवं सीमान्तीकरण की निरंतरता की भावनाएं किसी भी समाज के लिए खतरनाक भविष्य को निमंत्रित करती है ।

इन व्यूहरचनाओं को अमल में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे पास जागृत, स्पंदित एवं संवेदनशील नागरिक समाज एवं राज्य होना चाहिए। गुजरात में जो हुआ है उसके अनुसार नागरिक समाज का कौमवादी स्तर पर सीमान्तीकरण हो जाए तब नागरिक समाज एवं राज्य के मानस, बदलाव एवं व्यवहार बदलने का भगीरथ कार्य हमें करना पड़ेगा। इस जवाबदारी को उठाने के लिए हमें अनेक लोगों के दिलोदिमाग की जरूरत पड़ेगी। यद्यपि, हम समझते हैं कि इस बात में समय लग सकता है एवं हमें काफी धैर्य रखना पड़ेगा।

गतिविधियाँ

जमीन संपादनः विस्थापन अने असरग्रस्तो

वडोदरा में रोज़री स्कूल के हॉल में 'लैन्ड एक्विजिशन, डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड रिसेटलमेन्ट इन गुजरात' नामक पुस्तक का विमोचन १४.४.०९ को किया गया। इस अवसर पर भूमि अधिग्रहण से होने वाले विस्थापन एवं उसकी असरग्रस्तता पर एक चर्चा आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सेन्टर फॉर कल्चर एंड डेवलपमेंट के निदेशक प्रो. लेन्सी लोबो ने किया था। उन्होंने सेन्टर की विविध प्रवृत्तियों के बारे में विवरण दिया था एवं किए जा रहे अनुसंधानों की सूचना दी थी ।

गुजरात राज्य के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री सनतभाई मेहता ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि गुजरात में इस प्रकार की कोई पक्की सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसी सूचना को इस पुस्तक में सुंदर रूप से रखकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। भूमि अधिग्रहण के बारे में लोक सभा में एक विधेयक पास किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन सामाजिक कर्मशीलों, नीति निर्माताओं एवं विकासलक्ष्यी कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा।

सामाजिक कर्मशील एवं 'नया मार्ग' के संपादक श्री इन्दुकुमार जानी ने कहा कि इस पुस्तक में अधिकृत सूचना का उपयोग किया गया है। गुजरात में १९४७ से २००४ के समय के दौरान सरकार ने ८०,००० अधिसूचनाएं जारी की गई थी जिनका उपयोग इस पुस्तक में किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग करके काफी सूचनाएं प्राप्त की गई एवं इस पुस्तक में शामिल की गई हैं।

देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में पिछले ६० वर्षों के दौरान शायद सबसे अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। कुल आबादी के ५ प्रतिशत लोग विस्थापित हैं एवं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। पिछड़े क्षेत्रों में सबसे अधिक भूमि अधिग्रहण हुआ है। विकास की योजनाओं के कारण होने वाला अनिवार्य स्थलांतरण विनाश की तरफ दौड़ जाता है एवं उसका भोग गरीब एवं वंचित ही बनते हैं।

उन्होंने यह भी कहा था कि मीडिया इस पुस्तक के बारे में चर्चा करके विकास की नई यात्रा की शुरूआत करे। हरेक क्षेत्र को अलग-अलग देख करके एजेन्डा बनाएं तथा विकास के जो काम हो सकते हों उनकी शुरूआत करें। विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए लिए खास समूह आगे आयें। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो ही इस प्रकार के काम हो सकते हैं ।

महाराजा सयाजीराव युनिवर्सिटी के राजनीतिशास्त्र के प्राध्यापक एवं शोधकर्ता प्रो. प्रियवदन पटेल ने बताया कि इस पुस्तक में विस्थापन की समस्या के बारे में वस्तुनिष्ठ रूपरेखा दी गई है। उन्होंने इस अध्ययन के उद्देश्यों एवं पद्धतियों के बारे में विशद पड़ताल की थी। विकास के कारण जो असर हुआ एवं विकास के कारण जो काम हुए उनकी चर्चा उन्होंने की थी।

गुजरात इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेन्ट रिसर्च की प्रो. अमीताबहन शाह ने चर्चा में भाग लेते हुए बताया था कि जमीन के प्रश्न मानव जीवन के अस्तित्व से ही उत्पन्न हुए हैं। भूमि अधिग्रहण के लिए व्यवस्थित प्रयत्न नहीं किए गए। विकास के नाम पर समानता, स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक संयोजन के साथ संबंधित प्रश्नों के बारे में विचार करना चाहिए।

जमीन के प्रश्न आर्थिक वृद्धि से अलग प्रकार के प्रश्न हैं। सिंचाई के लिए कितनी जमीन जरूरी है उसका अध्ययन होना चाहिए। विविध योजनाओं के कारण व्यापक खर्च किया जाता है एवं अनेक प्रकार के प्रश्न खास कर के भूमि अधिग्रहण तथा गरीबी के साथ संबंधित प्रश्न खड़े होते है एवं विवाद भी खड़े होते हैं।

इस अनुसंधान अध्ययन में कितने लोगों ने जमीनें गंवाई है एवं कितना मुआवजा दिया गया है उसकी तुलना की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्तरदाताओं का चयन करके १३९ गांवों की सूचना शामिल की गई है एवं उसका विश्लेषण किया गया है। इस पुस्तक का आमुख डॉ. घनश्याम शाह ने लिखा है। उन्होंने ऐसी आशा व्यक्त की थी कि यह पुस्तक स्वर्णिम गुजरात के लिए उपयोगी बनेगी। इस अवसर पर अनुसंधानकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं अग्रणी लोग उपस्थित थे।

पुस्तक प्राप्ति स्थानः सेन्टर फोर कल्चर एन्ड डेवलपमेन्ट, एक्सटीआई कैम्पस, सेवासी पोस्ट, वडोदरा ३९१ १०१। फोनः ०२६५-२३७१३५४. ईमेलः drlancylogo@yahoo.com

दंगा पीड़ितों के पुनर्वास में नागरिक समाज की भूमिका

अहमदाबाद में १४.३.०९ को अहमदाबाद मैनेजमेन्ट एसोसिएशन में गुजरात में गोधरा के बाद सुमेलः नागरिक समाज की भूमिका के बारे में एक व्याख्यान आयोजित किया गया था। स्फियर (इंडिया), इंटर एजेन्सी ग्रुप (गुजरात) एवं उन्नति के संयुक्त उपक्रम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रो. टी. के. उमेन द्वारा उपरोक्त विषय के बारे में व्याख्यान दिया गया था।

श्री टी. के. उमेन जवाहरलाल नेहरु युनिवर्सिटी के एमिरिटस

प्रोफेसर हैं एवं वे प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त सच्चर समिति के सदस्य थे। उन्होंने 'रिकन्सिलिएशन इन पोस्ट गोधरा गुजरातः द रोल ऑफ सिविल सोसायटी' नामक लिखी पुस्तक का विमोचन भी इस अवसर पर किया था।

केयर इंडिया द्वारा गुजरात में गोधरा के बाद के दंगों के बाद गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट में १० गैर-सरकारी संगठनों ने भाग लिया था एवं उन्होंने विविध समुदायों के बीच शांति एवं सुमेल की पुनर्स्थापना के लिए प्रयास किया उनका आलेखन इस पुस्तक में श्री टी. के. उमेन द्वारा किया गया है। (इस पुस्तक की समालोचना संदर्भ साहित्य में दी गई है)

इस अवसर पर ईरमा के अध्यक्ष एवं भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. वाय. के. अलघ अतिथि विशेष के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने गुजरात में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किए गए अमन एवं शांति के प्रयासों की प्रशंसा की थी एवं इस प्रकार के प्रयासों को सतत चालू रखने की सलाह दी थी।

इस अवसर पर स्फियर इंडिया के श्री एन. एम. पृस्ति एवं इंटर एजेन्सी ग्रुप के श्री मयंक जोशी ने भी हाजिरी दी थी। अग्रणी नागरिकों की हाजिरी में आयोजित इस समारोह में इस बात पर जोर दिया गया था कि सामुदायिक विवाद एवं धार्मिक असहिष्णुता के हल सुमेल एवं समाधान से होने चाहिए।

सामाजिक अन्वेषण के बारे में राष्ट्रीय परामर्श सभा

१८-१९ मार्च २००९ को हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान में सामाजिक अन्वेषण के बारे में एक राष्ट्रीय परामर्श सभा आयोजित की गई थी।

'प्रिया' द्वारा आयोजित इस परामर्श सभा में आंध्र प्रदेश के ग्राम विकास विभाग के मुख्य सचिव श्री एन. राजू ने आंध्र प्रदेश में सामाजिक अन्वेषण में सरकार की भागीदारी के बारे में प्रस्तुति दी थी। उन्होंने बताया कि सामाजिक अन्वेषण हाथ में लेने के लिए राज्य स्तर की ४० एवं जिला स्तर की स्वतंत्र ४४० टुकड़ियां

तैयार की गई हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के बारे में तमाम सूचना सामने से सार्वजनिक की जाएंगी इस बारे में एक खास सरकारी संकल्प किया है। अभी तक इस प्रकार के ५००० सामाजिक अन्वेषण हाथ में लिए गए हैं। इस बारे में जानकारी nrega.ap.gov.in एवं rd.ap.gov.in पर देख सकते हैं।

एक बार पंचायत स्तर का ऑडिट हाथ में लिए जाने के बाद उपरोक्त वेबसाइट पर उसके बारे में सूचनाएं रखी जाती हैं। जब ६-७ गांवों का सामाजिक अन्वेषण हाथ में लिया जात है तब इस बारे में जिला स्तर की जन सुनवाई हाथ में ली जाती है एवं शिकायतों के हल करने के प्रयत्न किए जाते हैं। अभी तक अमल करने वाली संस्थाओं से २.५ करोड़ रुपयों की वसूली की गई है।

इस परामर्श सभा में इस बात से सर्वसम्मति बनी थी कि सरकार के सहारे के बिना एवं इस बारे में क्षमताजनक तंत्र खड़ा न हो पाए तो सामाजिक अन्वेषण हाथ में नहीं ले सकते हैं।

इस परामर्श सभा में जो महानुभाव हाजिर थे उनमें आंध्र प्रदेश सरकार के भूतपूर्व मुख्य सचिव श्री के. माधवराव, 'सेन्टर फोर एन्वार्यन्मेन्ट कन्सर्न्स' के निदेशक श्री के. एस. गोपाल, भारत सरकार के ऑडिट एवं एकाउन्ट विभाग के संयुक्त सचिव श्री अमिताभ मुखोपाध्याय, कासा के कार्यक्रम प्रधान श्री जयंतकुमार, गुजरात के ग्राम विकास विभाग के कमिश्नर एवं मुख्य सचिव सुश्री रीटा तिओटिया, 'प्रिया' के प्रमुख डॉ. राजेश टंडन आदि शामिल थे।

इस परामर्श सभा में चर्चाओं के बाद निम्नांकित मुख्य सिफारिशें तैयार की गई:

सामाजिक अन्वेषण के विचार एवं कार्यक्षेत्र

१. सामाजिक अन्वेषण महत्तम पारदर्शिता एवं आम आदमी की सहभागिता द्वारा सामाजिक स्वरूप का होना चाहिए ।
२. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सिवाय भी सामाजिक अन्वेषण का अमल होना चाहिए ।
३. मात्र अमल के चरण पर ही नहीं परंतु तमाम चरणों पर सामाजिक अन्वेषण हाथ में लिया जाना चाहिए।

तालीम की आवश्यकताएं

१. विविध स्तरों पर हितधारकों को इस प्रक्रिया के प्रति अभिमुख बनाने के लिए तालीम के बारे में मॉड्युल तैयार करना चाहिए।
२. समग्र प्रक्रिया के बारे में तालीम देना चाहिए ।
३. प्रशिक्षकों का एक कैडर बनाना चाहिए ।

सामाजिक अन्वेषण के व्यवहार

१. यह प्रक्रिया हाथ में लेते समय जो प्रतिकार एवं हिंसा हो तो उस समस्या का हल लाने की जरूरत है।
२. जहां सामाजिक अन्वेषण खतरा के बदले अवसर के रूप में देखा जाता हो वहां सक्षमता पैदा करने वाला वातावरण बनाना चाहिए नागरिकों की भागीदारी के लिए रक्षात्मक स्थान पैदा करना चाहिए।
३. समयबद्ध अनुवर्ती कार्य हाथ में लेना चाहिए एवं इन कदमों की जानकारी समुदाय को होनी चाहिए। सामाजिक अन्वेषण की रिपोर्ट के बाद कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए एवं उसमें पहले की रिपोर्ट के आधार जो कदम उठाए गए हों उनकी जानकारी देनी चाहिए ।
४. समग्र प्रक्रिया सरल एवं आसान बनानी चाहिए जिससे नागरिकों की समझ एवं उनकी भागीदारी में बढ़ सके।
५. सामाजिक अन्वेषण के बारे में अधिक बदलावक्षम अभिगम दर्शाना चाहिए एवं हाजिरी पत्रकों के अलावा अन्य प्रश्नों पर भी ध्यान देना चाहिए।
६. शिकायत निवारण व्यवस्था बनानी चाहिए एवं उसे मजबूत करना चाहिए।
७. समग्र प्रक्रिया योग्य है कि नहीं यह तय करने के लिए गुणात्मक एवं मात्रात्मक निर्देशकों का विकास करना चाहिए।
८. समग्र प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करना चाहिए एवं तमाम रिपोर्ट लोगों के लिए खुली होनी चाहिए।

शेष पृष्ठ 32 पर

संदर्भ सामग्री

रिकन्सिलियेशन इन पोस्ट-गोधरा गुजरात

यह अंग्रेजी पुस्तक दो भागों में है। इस पुस्तक में गोधरा की घटना के बाद गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के संदर्भ में विविध स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किए समाधान एवं सुमेल के प्रयासों का आलेखन किया गया है।

प्रथम भाग में भारत में ऐसे समाधान के लिए सामाजिक स्थापत्य क्या है, वर्तमान गुजरात का सामाजिक एवं राजनीतिक चित्र क्या है एवं गुजरात में २००२ में हुए दंगों में जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई उसका चित्र दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त 'गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट' द्वारा नागरिक समाज के द्वारा जो मध्यस्थताएं की गई हैं उनका चित्र भी खींचा गया है।

दाता संस्था 'केयर' द्वारा गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट में तीन बातें ध्यान में ली गई थीः (१) तत्काल राहत (२) जीवन निर्वाह की पुर्नस्थापना (३) सामाजिक सुमेल। इन तीन मुद्दों के संदर्भ में 'केयर' द्वारा एवं अन्य संगठनों द्वारा जो कार्य किए गए थे उनके बारे में विवरण इस पुस्तक में दिया गया है।

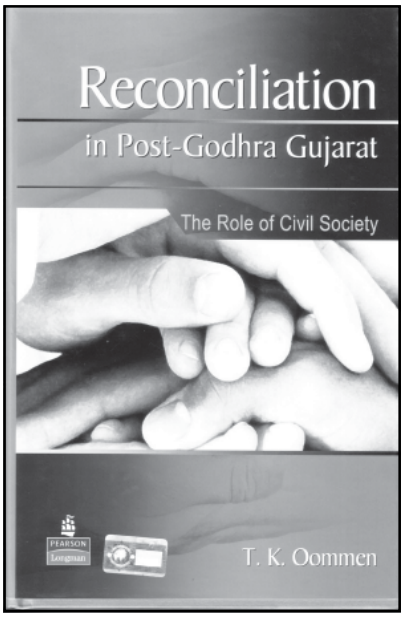

दूसरे भाग में 'अवाज' एवं 'ओलख', 'सेन्टर फोर डेवलपमेन्ट', 'गुजरात सार्वजनिक वेल्फेयर ट्रस्ट' एवं 'सेन्ट जेवियर्स सोश्यल सर्विस सोसायटी', 'कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल', 'समर्थ' एवं 'संचेतना', 'साथ', 'त्रिभुवनदास फाउन्डेशन' एवं 'साथ' तथा 'निमहान्स' संस्थाओं द्वारा सुमेल एवं समाधान की भूमिका पैदा करने के लिए किए गए प्रयासों का आलेखन किया गया है।

पुस्तक के अंत में इन प्रयासों में से जो सीख मिली हैं उनके बारे में बात की गई है। पुस्तक यह बताती है कि जिस संगठन ने यह प्रयास किया था उस संगठन ने यह माना है कि ऐतिहासिक हकीकतों के संदर्भ में जो मान्यताएं प्रचलित हैं उनका प्रतिकार करना आवश्यक है। संवाद की भूमिका पैदा करने के लिए कार्यशालाओं, बैठकों एवं शिविरों का आयोजन किया गया था।

इसके अतिरिक्त क्रिकेट मैच, धार्मिक उत्सवों की सामूहिक एवं संयुक्त आयोजन, अमन भोजन आदि बातें पारस्परिक विश्वास एवं सहिष्णुता का वातावरण सर्जन किया था। यह सीखने को मिला कि भूतकाल के प्रश्नों पर ध्यान देने के बदले संघर्ष के निवारण में जो मध्यस्थतायें की जाएं तो उसमें भूतकाल की विश्वसनीय बातों एवं अर्थघटन पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

यह भी सीखने के मिला कि सामूहिक भूतकाल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए एवं घातकी वर्तमान को भूल कर सामूहिक भविष्य की आशाओं को पहचानना चाहिए। यह भी जानने को मिला कि अमुक समुदाय को बदनाम करने के लिए एवं उसे खराब दिखाने के लिए जो पद्धतियां अपनाई गई हैं उनका प्रतिकार करने के लिए शिक्षण एक महत्त्वपूर्ण साधन बन सकता है। शिक्षण शास्त्र में एक नए अभिगम के रूप में शिक्षण द्वारा सुमेल को अपनाना चाहिए। जीवन कौशल के इस अभिगम को अधिक महत्त्वपूर्ण बताया गया है।

अलग-अलग समुदायों के बीच कुछ तनाव उत्पन्न होता है उसमें सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं पर होता है। इसी कारण से जब शांति के प्रयासों में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभाती हैं तब वे

अधिक शांतिजनक बनते हैं। इस पुस्तक में लेख कि सांप्रदायिक हिंसा की गतिशीलता का विश्लेषण किया है एवं ऐतिहासिक संदर्भ में दंगों को रखा है। समावेशी समाज तैयार करने के लिए गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठन ने जो प्रयास किए हैं एवं उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया उनका वर्णन भी इस पुस्तक में किया गया है । खास कर पीड़ितों के पुनर्वास के लिए जो नए प्रयास किए गए हैं एवं मानसिक संतुष्टि दी गई है वह उल्लेखनीय है।

लेखकः टी. के. उमेन, प्रकाशकः पियर्सन एज्युकेशन इन साउथ एशिया, १४, लोकल शोपिंग सेन्टर, पंचशील पार्क, नवी दिल्ली ११० ०१७. कीमत ६२५ रु.

सच्चर समिति की रिपोर्ट

प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा २००५ में भारत के मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की रचना सर्वोच्च न्यायलय के निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति श्री राजिन्दर सच्चर की अध्यक्षता में की गई थी। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा ६ सदस्य थे । इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है उसका सारांश इस पुस्तक में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त इस पुस्तक में समिति के एक सदस्य अहमदाबाद की इंडियन इन्स्टिट्च्युट ऑफ मैनेजमेन्ट के प्रो. राकेश बसंत का एक लेख भी प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही, प्रसिद्ध समाजशास्त्री श्री घनश्याम शाह द्वारा लिखा एक लेख का भी इस पुस्तक में प्रकाशन किया गया है।

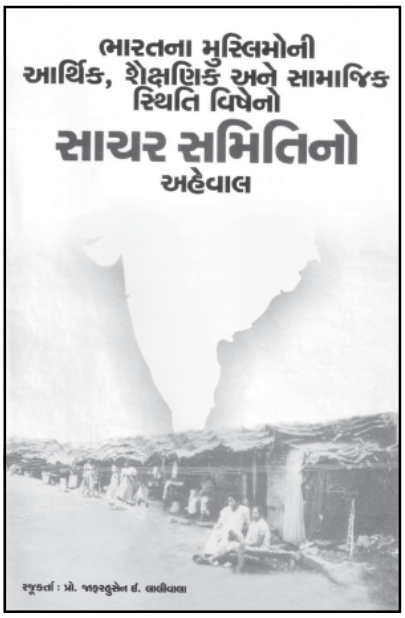

लेखक मानते हैं कि सच्चर समिति की रिपोर्ट हकीकत पर आधारित, सांप्रदायिक एकता पोषक एवं राष्ट को मजबूत करने वाली रिपोर्ट है। उसमें मात्र मुसलमानों की पिछड़ी आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति का ही वर्णन नहीं है बल्कि इसके साथ भारत के सभी पिछड़े एवं गरीब वर्गों (यानि कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो एवं तमाम धार्मिक अल्पसंख्यकों) की स्थिति के बारे में सूचना, उसका पृथक्करण एवं उसकी मुख्य समस्याओं के सर्वसामान्य हल दर्शाए गए हैं ।

पुस्तक में मुसलमानों की गरीबी, नौकरी की परिस्थिति, सरकारी विभागों में मुसलमानों का प्रमाण, न्यायतंत्र में मुसलमानों का प्रमाण, स्वरोजगारी, शिक्षण एवं अक्षरज्ञान का प्रमाण, शाला अध-बीच छोड़ने का प्रमाण आदि बातों के बारे में चर्चा की गई है। मदरसों का शिक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण संवेदनशील प्रश्न बना रहा है। मदरसों के विरुद्ध जो आक्षेप लगते हैं उनका उल्लेख करके धार्मिक मूलभूतवाद किस तरह दूर हो सकता है एवं उन्हें राष्ट्रीय धारा एवं वैश्विक धारा में किस तरह जोड़ सकते हैं उसके बारे में सच्चर समिति ने सुझाव दिए हैं।

लेखक यह बताते है कि मदरसों के शिक्षण में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, शरीरविज्ञान, खगोलशास्त्र आदि जैसे प्रकृति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र एवं तत्त्वज्ञान जैसे समाजविज्ञान का शिक्षण भी शामिल करना चाहिए।

सच्चर समिति की रिपोर्ट में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने के लिए जो सहायता दी जाती है उसका कितना लाभ कितनी मात्रा में मुसलमानों को प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी विश्लेषण किया गया है । प्रधानमंत्री की अल्पसंख्यकों के विकास के लिए जो १५ मुद्दों की योजना है उसके अमल के संदर्भ में सच्चर समिति ने कहा है कि, प्रधान मंत्री के अल्पसंख्यकों को उनकी आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए १५ मुद्दों के कार्यक्रम के अंतर्गत रिजर्व बैंक अल्पसंख्यकों को उचित मात्रा में बैंक से ऋण दिलाने के खास प्रयत्न किए उसका लाभ मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों को मुख्य रूप से मिला है एवं उसमें मुसलमान पीछे रह गए लगते हैं।

लेखक का मानना है कि वास्तव में तमाम अल्पसंख्यकों को एवं सब गरीबों एवं निम्न मध्यम वर्गों को अधिक ऋण मिलना जरूरी है एवं इस रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भी उचित मात्रा में ऋण मिलना जरूरी है एवं यह अपने देश में सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।

सच्चर समिति की रिपोर्ट में सरकारी के नौकरियों एवं योजनाओं के लाभ विविध राज्यों में कितनी मात्रा में मुसलमानों को प्राप्त हुआ है तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के विकास एवं वित्त निगम की योजनाओं तथा राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के लाभ किस तरह प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी भी दी जाती है। इस पुस्तक में यह तमाम जानकारी दी गई है। विविध योजनाओं के लाभ किस तरह अधिक प्राप्त हो सकते हैं उस बारे में सूचना भी इस पुस्तक में दी गई है।

मूल रिपोर्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट काफी बड़ी है एवं अनेक प्रकार की सूचनाएं अनेक तालिकाओं में दी गई है। इस विवरणों को सरल गुजराती भाषा में सारांश रूप में प्रस्तुत करके प्रो. जाफरहुसेन लालीवाला ने गुजराती पाठकों के लिए काफी महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

लेखक एवं प्रकाशकः प्रो. जाफरहुसेन ई. लालीवाला, चौथी मंजिल, हबीब रेसिडेन्सी, लल्लु रायजी का वंडा, मिरजापुर, अहमदाबाद-३८० ००१. कीमत १०० रु.

'सेवा' ना चांद

यह पुस्तक 'सेवा' की लंबी दूरी तय करने वाली तमाम श्रमजीवी बहनों की गाथा है। पिछले २७ वर्षों से अविरत प्रकाशित श्रमजीवी बहनों का अपना पाक्षिक मुखपत्र 'अनसूया' वास्तविक अर्थ में उनकी वाणी बना है। समयांतर में 'अनसूया' में प्रकाशित श्रमजीवी बहनों की जीवनी का इस दस्तावेज के स्वरूप में यह कलंक अर्थात 'सेवा का चांद'।

इसकी प्रस्तावना में श्री इन्दुकुमार जानी बताते हैं कि अनेक मुश्किलों में से अपने बल पर जूझते हुए बहनों ने किस तरह मार्ग

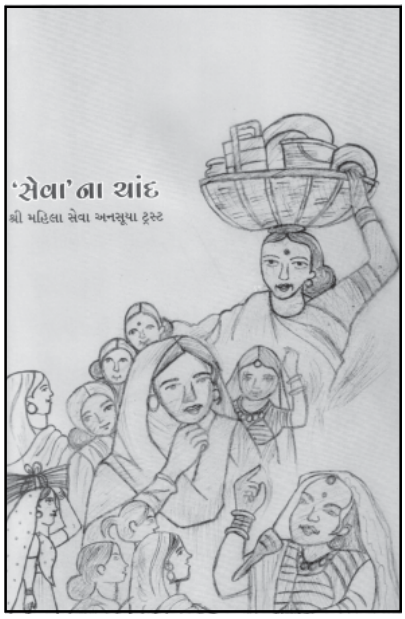

निकाला है वह हर पन्ने पर देखने को मिलता है। कई बहनों ने एक वचन में अपनी कहानी पेश की है तो इलाबहन, जयंतिकाबहन, नम्रता बाली, रीमा नाणावटी, नफीसा खलील एवं मीराई चटर्जी आदि की कलम का भी इन कहानियों का लाभ मिला है।

हिंदू-मुस्लिम, आदिवासी, दलित, देवीपूजक, परप्रांतीय, शहरी, ग्रामीण अलग-अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व यहां देखने को मिलता है। भले, आंसुओं की खाराश एकसी होती है तो भी उनके पीछे की पीड़ा अलग-अलग होती है। दूसरी तरफ संघर्ष के प्रकार भिन्न-भिन्न होते हैं परंतु अंत में उससे उत्पन्न संतोष एवं प्राप्त सुख एक से होते हैं। यहां संगठन की शक्ति का आत्मविश्वास प्रकट किया एवं 'सेवा' की पवित्र एवं सच्चे दिल की भावना प्रदर्शित होती लगती है।

श्री इन्दुकुमार जानी कहते हैं कि इस 'चालीस कहानी में एक तंतु लगातार देखने को मिलता है कि स्त्रियों को अवसर मिले तो वे उत्तुंग शिखरों पर भी विजय प्राप्त कर सकती हैं।' इन तमाम प्रसंग कथाओं एवं रेखाचित्रों को पढ़कर जो समझे हैं वह निम्नानुसार है:

(१) असंगठित वर्ग की महिलाओं के कल्याण के लिए मजदूर मंडलों की स्थापना 'सेवा' द्वारा की गई है। एवं इस तरह से कार्य का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

(२) महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उनके संपूर्ण सशक्तिकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन मंडलों ने बहनों को साहूकारों के चुंगल में से बाहर निकालने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक स्वावलंबन एवं रोजगारी आर्थिक

सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

(३) आर्थिक विकास के साथ ही सामाजिक विकास एवं समरसता महत्वपूर्ण मुद्दे बने हैं। सांप्रदायिक सौहार्द्र, समानता, बंधुत्व की भावना, दारूबंदी, व्यसन मुक्ति आदि जैसे मुद्दे अपने-आप ही महिलाओं की जीवनशैली के एवं उनके समग्र कुटुंब की जीवन व्यवस्था के भाग बने हैं।

(४) विकास की समग्र प्रक्रिया में जो कोई महत्त्वपूर्ण मुद्दा है तो वह तालीम एवं प्रशिक्षण है। शिक्षण जो ढांचागत ढांचा में दिया जाए तो उससे अलग प्रकार का शिक्षण यहां महत्त्वपूर्ण बनता है। कुशलता की तालीम एवं इस तालीम द्वारा रोजगार में वृद्धि एवं विकास का स्वाभाविक क्रम पैदा होता है।

(५) सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के मामलों में भी ये कहानियां उल्लेखनीय हैं। अकाल जैसी कुदरती विपत्तियों के संदर्भ में सामूहिक विपत्ति व्यवस्थापन किस तरह स्थलांतरण को रोकता है उसके उदाहरण इस कहानियों में देखने को मिलते हैं ।

(६) यह कहा जाता है कि कलियुग में संगठन में ही शक्ति है। गरीब बहनें संगठित हों एवं उनकी संगठित ताकत परिचय दें तो सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन अपने-आप होता है। अनेक प्रकार की सामाजिक चुनौतियों का सामना करना एकल-दोकल रूप से एवं संगठित रूप से वह भी अनिवार्य बन जाता है उसका कारण यह है कि भारत के समाज जातियों एवं धार्मिक मतभेदों एवं भेदभावों में बंटा है। यहां यह बात देखने को मिली है कि ऐसे विघटनकारी समाज में भी बहनें संगठित होकर किस तरह विकास कर सकी हैं।

(७) महिलाएं अपने परिवार में सामाजिक अत्याचार का शिकार बनती हैं। उसका कारण विविध प्रकार के बंधन होते हैं। इस बंधन का प्रतिकार बहनें नहीं कर सकती हैं। इन यातनाओं में से पार होकर भी बहनें अपनी संतानों को किस तरह सुख दे सकती हैं उसकी चिंता करती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण इन कहानियों में देखने को मिलते हैं।

यह स्पष्ट है कि ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन समाज के बिल्कुल पिछड़े वर्गो में किस तरह ला सकते हैं ।

संपादकः जयंतिका जयंतभाई एवं लीला पटेल, प्रकाशकः श्री महिला सेवा अनुसूया ट्रस्ट, सेवा रिसेप्शन सेन्टर, तिलक बाग के सामने, भद्र, अहमदाबाद-३८०००१. फोनः ०७९-२५५०६४४४, २५५०६४७७. कीमतः ७० रु.

स्त्री जीवन संघर्षः प्राचीन काल से भक्ति आंदोलन तक - भाग-१

इस पुस्तक में नारी आंदोलन के इतिहास एवं वर्तमान चुनौतियों का आलेखन किया गया है। यह पुस्तक 'उन्नति' एवं 'सहियर' का सामूहिक प्रयास है। भारत में नारी आंदोलन के इतिहास के आलेखन स्त्री अध्ययन में महत्त्व के अंश रूप में हुआ है। इसके अतिरिक्त, नारी समूहों की विविध मुद्दों पर लड़ाई एवं विविध स्वरूप में प्रतिक्रिया के आलेखन भी उपलब्ध हैं। परंतु इस पुस्तिका की एक विशेष उपयोगिता है। इसमें संवाद के स्वरूप में नारी आंदोलन के इतिहास एवं वर्तमान चुनौतियों के बारे में समझ देने का प्रयत्न किया गया है।

यह पुस्तिका मुख्य रूप में स्थानीय क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की स्त्री-पुरुष भेदभाव, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था, स्त्रियों के गिरते स्थान के ऐतिहासिक मूल एवं समतापूर्ण विकास के लिए सशक्तिकरण की जरूरत वाली भावनाओं के बारे में समझ बढ़ाने के आशय से तैयार की गई हैं।

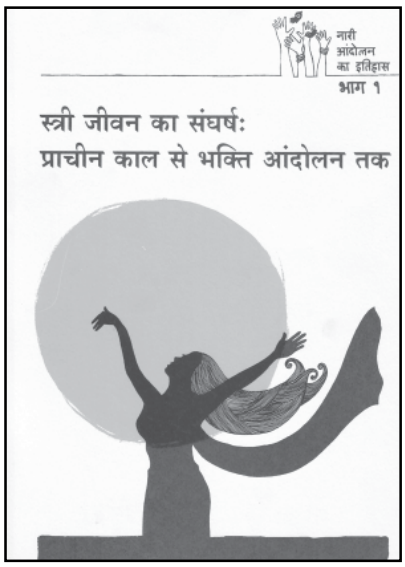

इस पुस्तिका में महिला मंडल की चर्चा में भाग लेने वाले तमाम पात्र काल्पनिक हैं। इसमें कोई

ऐतिहासिक या आधुनिक घटनाओं के साथ मेल खाए तो वह केवल मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए है ।

इस नारी आंदोलन के इतिहास को चार भाग में तैयार किया गया है। यह पुस्तक इस श्रेणी का पहला भाग है। इस समग्र श्रेणी नारी आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, अंतरराष्ट्रीय फलक, वर्तमान आंदोलन क्षेत्र मुद्दों एवं चुनौतियों को समझने के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं व अध्ययनकर्ताओं को उपयोगी होगी। इस श्रेणी में सरल भाषा, लोकगीतों, व्यक्तिचित्रों आदि का उपयोग बुनियादी कार्यकर्ताओं को पिछड़ी बहनों को आंदोलन की आवश्यकता समझाने में उपयोगी होगी।

प्रथम भाग में स्त्री-पुरुष भेदभाव, पितृसत्ता आदि जैसे नारीवादी मुद्दों के अतिरिक्त प्राचीन काल से भक्ति आंदोलन के समय तक का समावेश किया गया है। उसमें भारत की पितृसत्ता का ढांचा किस तरह बनया गया था उसकी बात है। जाति प्रथा एवं पितृसत्ता के तानेबाने द्वारा उत्पन्न ब्राह्मणीय पितृसत्ता की संक्षिप्त रूपरेखा इसमें दी गई है।

हिंदू धर्म के ब्राह्मणवाद के सामने चुनौति के रूप में शुरू हुए बौद्ध धर्म एवं भक्ति आंदोलन की बात एवं उसमें स्त्रियों की भूमिका का उल्लेख भी किया गया है। इस समय भारत में फैल रहे इस्लाम की बात भी की गई है। इस्लाम से पहले अरबस्तान में प्रचलित धर्म की तुलना में रहे उदारमतवादी पहलू आज व्यवहार में नहीं देखने में आते। ऐसे, पितृसत्ता के समक्ष इन तमाम प्रयत्नों को अपने स्थल, काल एवं जो उस समय की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियां बनी थी एवं इससे मर्यादित थी उनकी बात की गई है ।

इस पुस्तिका श्रेणी में स्त्रियों के विकास के प्रश्नों पर काम करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए नारी आंदोलन के बारे में अपनी समझ विकसित करने के साथ ही इस समझ को विस्तृत समुदाय तक ले जाने के लिए मददरूप होने वाले साहित्य की जरूरत पड़ती है। यह पुस्तिका वह जरूरत पूरी करती है।

इस पुस्तिका का आयोजन इस तरह किया गया है कि पुस्तिकाओं का अध्ययन करने के बाद कार्यकर्ता अपने कार्य क्षेत्र के लोक समूहों में भी इस विषय की शुरूआत कर सकते हैं। पुस्तिका में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त स्थानीय रूप से अधिक प्रचलित उदाहरणों एवं गीतों को भी समावेश कर सकते हैं। प्रत्येक पुस्तिका में स्त्री-पुरुष समानता, प्रभुत्व वाले वर्ग, जाति एवं धर्म से ऊपर उठकर तमाम सीमांत पहचान वाले समूहों के दृष्टिकोण एवं उनके अनुभवों के उदाहरणों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है।

प्रत्येक मुद्दे में उस बारे में नारीवादी समझ, उसके सामने हुए विरोध के महत्त्व के मुद्दों एवं घटनाओं तथा उनका विश्लेषण करने की कोशिश की गई है ताकि पाठक अपने संगठन के कार्यक्षेत्र में बनी घटनाओं को इन मुद्दों के साथ जोड़कर कदम उठा सके ।

प्राप्ति स्थान: 'उन्नति', एवं 'सहियर' : जी-३, शिवांजलि फलेट्स, जाधव अमीश्रद्धा सोसायटी के पास, नवजीवन, आजवा रोड, वडोदरा-३९००१९. फोन: ०२६५-२५१३४८२. ईमेल: sahiyar@gmail.com

सिविल सोसायटी एन्गेजमेन्ट फॉर मेनस्ट्रीमिंग डिसेबिलिटी इन डेवलपमेन्ट प्रोसेस

यह पुस्तक गुजरात में बहुहितधारक भागीदारी के साथ किए गए कार्यलक्ष्यी अनुसंधान प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है। हाल के वर्षों में विकलांगता के प्रश्न को मुख्य धारा में लाने के लिए नागरिक समाज के समूहों एवं संस्थाओं ने शामिल करने के लिए कई प्रयास होते रहे हैं। उनमें यह समझ काम करती है कि मात्र सेवाएं प्रदान कर देना ही महत्वपूर्ण एवं विकलांग

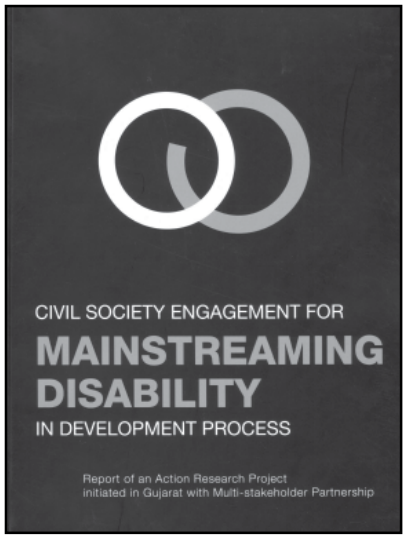

व्यक्तियों की जरूरतों एवं अधिकारों को सब स्तरों पर संतुष्टि प्रदान करने की जरूरत है।

'उन्नति' एवं 'हैन्डिकेप इन्टरनेशनल' द्वारा संयुक्त रूप से २००२-०५ के दौरान एक कार्यलक्ष्यी अनुसंधान हाथ में लिया गया था। उसका इरादा विकलांगता के क्षेत्र में प्रवर्तमान परिस्थितियों को समझने एवं विकलांगता के प्रश्न को मुख्य धारा में लाने के लिए नागरिक समाज के समूहों की सहभागिता पैदा करवाना था।

इस रिपोर्ट में जिन व्यूहरचनाओं पर अमल किया गया, अवरोधमुक्त पर्यावरण तैयार करने के लिए जो संयुक्त कदम उठाए गए, सार्वजनिक शिक्षण एवं संचार, विकास की प्रक्रिया में विकलांगता के मुद्दे को मुख्य धारा में लाना आदि बातों का समावेश किया गया है।

इस अंग्रेजी पुस्तक में सहयोगी प्रयास के अमल करते समय जो कुछ सबक सीखने को मिले उनमें ८ बातों का संदर्भ दिया गया है:

(१) भौतिक पहुंच
(२) सूचना की प्राप्ति एवं जागृति
(३) समाज के झुकाव एवं विकलांग व्यक्ति
(४) संस्थागत स्तर पर विकलांगता के प्रश्न को मुख्य धारा में लाना
(५) नागरिक समाज की भागीदारी
(६) नीति विषयक प्रश्न
(७) शिक्षण एवं रोजगार के अवसर
(८) विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहन एवं प्रेरणा। पुस्तक के अंत में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र के संकल्प की धारा-९ की जानकारी दी गई है। इसके साथ बायवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क-२००२ की प्रादेशिक नीतियों के संदर्भ में पड़ताल भी की गई है। इसके अतिरिक्त १९९५ के विकलांगता अधिनिम की धारा-४४,४५ एवं ४६ के प्रावधान भी दिए गए हैं।

प्राप्ति स्थान: हैंडिकेप इन्टरनेशनल, बंगलो नं.१, पंचज्योत सोसायटी, हसमुख कोलोनी चार रस्ता, विजयनगर, नारणपुरा, अहमदाबाद ३८० ०१३. फोन: ०७९-६५४२ ५६४६, ईमेल: prg@hi-india.org एवं 'उन्नति'।

एन्जेन्डरिंग वर्कप्लेसेस: फ्रेमवर्क फॉर ए जेन्डर पालिसी

यह अंग्रेजी पुस्तक एक मैन्युअल है। स्वैच्छिक संगठनों के साथ जेन्डर पालिसी तैयार करने के लिए की गई बातचीत में से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह मैन्युअल तैयार किया गया है। समग्र स्वैच्छिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है।

सामान्य रूप से मान लिया गया है कि स्वैच्छिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष भेदभाव के प्रश्न उनके संगठनात्मक कार्य का एक अनिवार्य भाग है। उसका कारण यह है कि महिलाओं के समावेश एवं सशक्तिकरण पर जोर देने वाले विशिष्ट कार्यक्रम किए जाते हैं। तथापि, इस मैन्युअल को तैयार करने के लिए जो प्रयास किए गए थे उनसे यह जानने को मिला था कि यह धारणा गलत है। इससे इस मैन्युअल स्वैच्छिक संगठन में जो वास्तविक व्यवहारो एवं वातावरण है उसके बारे में कई सूचनाएं देता है।

एक अन्य सूचना भी जानने को मिली है कि विविध संग न कार्यस्थल पर महिलाओं के समावेश के बारे में विविध प्रकार के व्यवहार करते हैं। परंतु ये व्यवहार दिखावटी होते हैं एवं महिलाओं को संगठन में बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में शक्तिशाली नहीं होते। इसके अतिरिक्त उन्हें नेतृत्व एवं निर्णय प्रक्रिया में भूमिका नहीं दी जाती। अथवा यह भी कह सकते हैं कि उनके कार्य पर असर करने वाले अवरोधों दूर करने एवं जीवन में संतुलनकारी वातावरण भी तैयार नहीं किया जाता।

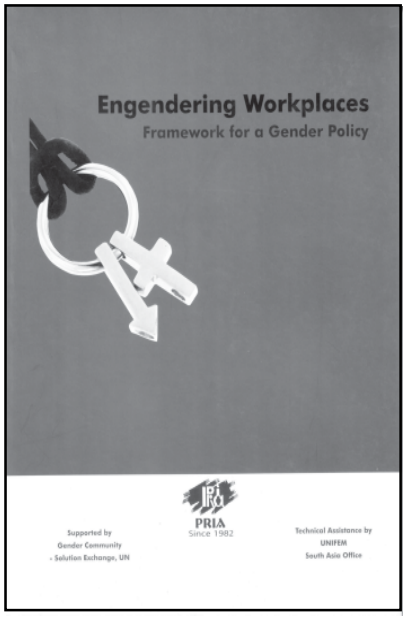

स्वैच्छिक क्षेत्र में कार्य स्थल अभी भी पुरुषों के वर्चस्व वाला है। कार्य

स्थल एवं घर दोनों जगह उनकी जरूरतों एवं भूमिकाएं परिपूर्ण होने की जो परिस्थिति रही है उसी से इस मैन्युअल में नीचे के मुद्दों का समावेश किया गया है:

(१) जेन्डर पालिसी
(२) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध नीति
(३) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण समिति
(४) स्टाफ के सदस्यों में स्त्रियों एवं पुरुषों में समानता
(५) श्रेणीगत व्यवस्था, नेतृत्व एवं निर्णय प्रक्रिया की भूमिका में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण
(६) संगठन के अंदर महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहारों का दस्तावेजीकरण।

इस पुस्तक में नीचे के तीन प्रकरणों का समावेश किया गया है:

(१) जेन्डर पालिसी का महत्त्व
(२) जेन्डर पालिसी द्वारा संगठन में भेदभाव का निवारण
(३) जेन्डर पालिसी को क्रियान्वित करना।

प्राप्ति स्थानः पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, ४२, तुगलकाबाद इन्स्टिटच्युशनल एरिया, नई दिल्ली ११० ०६२. फोनः ०११-२९९६०९३१-३२-३३. ईमेलः info@pria.org.

काइट्स ओवर द मेंगो ट्री

इस अंग्रेजी पुस्तक में गुजरात में हिन्दुओं एवं मुसलमानों के बीच सौहार्द्र की पुनर्स्थापना करने के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा की गई है। यह पुस्तक तीन भाग एवं दस प्रकरणों में विभाजित है।

प्रथम भाग में सांस्कृतिक मुद्दों का समावेश किया गया है। १९९२ एवं २००२ में हुए दंगों तथा बीच के दशक के दौरान की गतिविधियों का उल्लेख करके महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन, देश का विभाजन एवं उसके बाद की परिस्थिति के बारे में भी उसमें भूमिका के रूप में चर्चा की गई है। पुराने रजवाड़ों एवं यूरोप के वर्चस्व की जो असर गुजरात पर पड़ा उस पर भी संक्षेप में चर्चा की गई है।

दूसरे भाग में संघ परिवार के संगठनों , मुस्लिम सुधारकों एवं

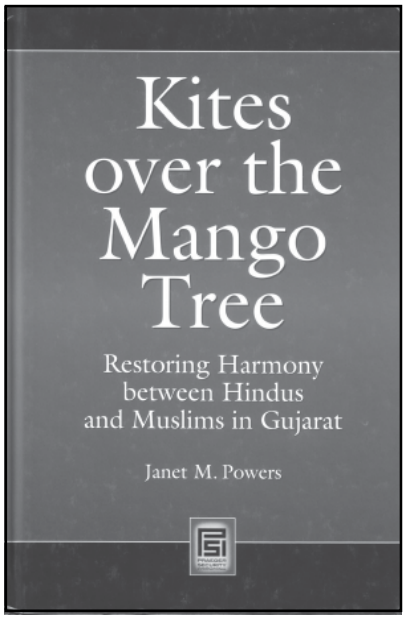

मुस्लिम राष्ट्रवादियों तथा दंगों की परिस्थितियों के बारे में चर्चा की गई है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल की भूमिका की चर्चा तथा भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सेवा विभाग एवं भारतीय जनता पार्टी की चर्चा सांप्रदायिक माहौल के संदर्भ में की गई है।

तीसरे भाग में 'सेवा' के अनुभव काफी विस्तार से दर्शाए गए हैं। विविध प्रकार की प्रक्रियाओं द्वारा किस तरह हिंदू एवं मुस्लिम समुदायों में एवं खास कर के महिलाओं में सांप्रदायिक शांति एवं सौहार्द्र हो सकता है उसका विगतवार वर्णन किया गया है । इसके अतिरिक्त, 'केयर' द्वारा चलाए जा रहे गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट के अतर्गत विविध संगठन शांति, सुलह एवं सुमेल के लिए किए प्रयासों एवं इन प्रयासों का परिणाम किस तरह आया वह दर्शाया है।

पिछले प्रकरण में भविष्य में सांप्रदायिक सौहार्द्र पैदा करने के लिए कई-कई बातें ध्यान में रखनी चाहिए उनके मुद्दों पर चर्चा की गई है। विविध गैर-सरकारी संगठनों के नेताओं की मुलाकातों को लेकर चर्चा की गई है।

यह बताया गया है कि 'सेवा' द्वारा महिलाओं के लिए जो काम किए जाते हैं वे स्वयं हिंसा के विरुद्ध काम करते हैं। रोजगार, आय, पोषक आहार, स्वास्थ्य की देखभाल, बाल संभाल, उचित आवास, दुर्घटनाओं, संगठित ताकत, नेतृत्व एवं शिक्षण जैसे प्रश्न के आसपास महिलाओं को संगठित करने एवं उनकी सामाजिक आर्थिक सुधार करने में 'सेवा' ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी रूप से गुजरात हार्मनी प्रोजेक्ट के अंतर्गत विविध गैर-

सरकारी संगठन मानसिक एवं आर्थिक पुनर्वास के लिए किए प्रयासों का आलेखन इस भाग में किया गया है।

इस पुस्तक का आमुख 'प्रशांत' के निदेशक फादर सेड्रिक प्रकाश द्वारा लिखा गया है। वे यह बताते हैं कि यह पुस्तक काफी समयानुकूल पुस्तक है। लेखक आशा की संभावनाएं पूरी करते हैं एवं जिस राज्य में विभाजन एवं निराशा घातक गहनता है उस राज्य में पतंग महोत्सव एक आशा पैदा करता है ।

लेखकः जेनेट एम. पावर्स। प्राप्ति स्थानः प्रिजर सिक्युरिटी इन्टरनेशनल, ८८ पोस्ट रोड वेस्ट, वेस्टपोर्ट, सीटी ०६८८१, अमेरिका. वेबसाइटः www.praeger.com/PSI

पृष्ठ 24 का शेष

९. हरेक स्तर पर सामाजिक अन्वेषण के कार्यक्रमों का समयपत्रक पहले से ही तैयार होना चाहिए।

नागरिकों की भागीदारी एवं सहभागिता

१. समग्र प्रक्रिया में ग्राम सभा केन्द्र में रहनी चाहिए एवं नागरिकों को उसमें केन्द्रीय भूमिका निभानी चाहिए।

२. सरकारी अधिकारियों एवं निरीक्षकों की हाजिरी ग्राम सभा एवं सार्वजनिक सुनवाइयों में होने का ध्यान रखना चाहिए।

३. समग्र प्रक्रिया में समाज के सबसे वंचित वर्गों की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समग्र प्रक्रिया की असरकारकता के निर्देशक के रूप में इस बात को मानना चाहिए।

४. बाहर की संस्थाएं एवं निष्णात सामाजिक अन्वेषण हाथ में ले उसके बदले समग्र प्रक्रिया को अधिक स्थानीय बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

५. प्रक्रिया में युवाओं के समूहों को शामिल करने के लिए नेहरु युवक केन्द्रों को भी शामिल कर सकते हैं।

६. जिला स्तर पर जो संसाधन टुकड़ी हो उसमें युवाओं को भागीदार होना चाहिए।

७. इस क्षेत्र के निष्णातों को शामिल करने की प्रक्रिया सफल रूप से चलानी चाहिए जिससे उनकी निष्णातता का उपयोग कर सकते हैं।

८. विभिन्न राज्यों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया होनी चाहिए।

९. विविध स्तरों पर प्राप्त अनुभवों एवं विविध क्षेत्रों में हुए अनुभवों का संकलन करना चाहिए।

सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया का संस्थाकरण

१. सामाजिक अन्वेषण की प्रक्रिया को टिकाऊ बनाने के लिए उसका संस्थाकरण करना जरूरी है।

२. सामजिक ऑडिट मिशन के फोरम या विभाग जैसी स्वतंत्र संस्था राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर रचना करनी चाहिए। उसके पास अलग बजट हो एवं वह इस प्रक्रिया पर देखरेख रखे एवं उसका नियमन करे।

३. सामाजिक अन्वेषण के लिए नेटवर्क तैयार करने की जरूरत है।

४. राज्य, नागरिक समाज के संगठनों एवं नागरिकों की भूमिका व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करनी चाहिए। उनके बीच पारस्परिक सहयोग होना चाहिए।

५. सामाजिक अन्वेषण के आर्थिक एवं तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

६. पंचायत स्तर पर अपने-आप सूचना की घोषणा हो उसके लिए कदम उठाने चाहिए।

७. सरकार नागरिकों के साथ संबंधित समस्याओं के बारे में जो रूप अपनाती है उसमें मूलभूत परिवर्तन आना चाहिए।

८. सामाजिक अन्वेषण की रिपोर्ट को अदालतों में एवं खास कर के अदालतों में सबूत के तौर पर स्वीकार करना चाहिए।

९. सामाजिक अन्वेषण तमाम योजनाओं में हाथ में लेने के लिए ग्राम सभा के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए।

पिछले तीन माह के दौरान हमने निम्नांकित प्रवृत्तियां हाथ में ली थी:

१. नागरिक नेतृत्व एवं शासन

ग्रामीण शासन

(क) सामाजिक अन्वेषण एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अमल में पंचायतों की असरकारकता पैदा करने के लिए २००६ के बाद क्षमता वर्धन के एवं जागृति पैदा करने वाले अनेक कार्यक्रम किए गए। उसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के ग्राम विकास विभाग के साथ हिमायत करने का अवसर प्राप्त हुआ एवं राज्य ग्राम विकास संस्थान (एसआईआरडी) ने नियमित स्तर पर तालीम की सहायता दी गई। १९ से २२ दिसम्बर, २००८ के दौरान राज्य के ९० इंजीनियरों के लिए एक अभिमुखता कार्यक्रम चलाना एसआईआरडी को सहायता दी गई थी । इसके अतिरिक्त २७.२.०९ को पंचायतों के ३६,००० प्रतिनिधियों को सेटकोम द्वारा तालीम दी गई थी।

राजस्थान में लूणी तालुका में कई ग्राम पंचायतों को सामाजिक अन्वेषण के लिए सूचना एकत्र करने के लिए सहायता दी गई एवं उन्हें मानक रूप में काम करने के लिए भी सहायता दी गई । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को तालीम देने के लिए तालुका के प्रशासन तंत्र को भी दो चरण की सहायता दी गई। राजस्थान में शेरगढ एवं सिणधरी तालुका में विविध हितधारकों के साथ दूसरे दौर की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सामुदायिक नेताओं एवं कार्यक्रम अधिकारियों ने भाग लिया था।

(ख) नागरिक नेताओं का क्षमता वर्धन

पिछले ५ वर्ष से शासन को पारदर्शक एवं उत्तरदायी बनाने के लिए नागरिक सक्रिय रूप से एवं व्यूहात्मक रूप से भाग ले रहे हैं। गुजरात में साबरकांठा की ५० पंचायतों एवं अहमदाबाद की ३० पंचायतों के नागरिक नेताओं को पहचान लिया गया है एवं उसको सतत सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रयत्न किया गया है। गुजरात के दो तालुकों के ४६ नागरिक नेताओं ने भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अमल के विविध पहलुओं के लिए दिसम्बर २००८ के दौरान तालीम दी गई थी।

ग्राम पंचायत स्तर के नागरिक मंडल तालुका स्तर पर क्षेत्रीय विकास समिति में एकत्र हुए। इन महामंडलों को मार्च २००९ से एक मासिक समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए सहायता दी जा रही थी। यह समाचार पत्र उत्तरदायी एवं पारदर्शी शासन को प्रोत्साहन देने के लिए नागरिकों द्वारा किए गए प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित करता है। शहरी नागरिक नेता गरीबों की सेवाओं में सुधार करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसका दस्तावेजीकरण 'प्रिया' के सहयोग से किया गया है। ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका एवं भारत में इसी तरह के प्रयासों का दस्तावेजीकरण करने के व्यापक प्रयास के अंतर्गत इस प्रयास का दस्तावेजीकरण हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका एवं ब्राजील के कई कर्मशीलों ने भारत की मुलाकात ली एवं कई नागरिक नेताओ के साथ बातचीत की थी।

(ग) सूचना के अधिकार के उपयोग को प्रोत्साहन

पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन के लिए साधन के रूप में सूचना के अधिकार के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कानून बनने के बाद विविध प्रयास किए गए हैं। गुजरात में तीन तालुकों के १४ नागरिक इस बारे में अभिमुख किया गया था। इन प्रशिक्षित नागरिक नेताओं द्वारा इसके बाद सूचना के अधिकार के बारे में ३६ शिविर आयोजित किए गए थे। ५३ महिलाओं सहित ८३१ लोगों को इन शिविरों में सूचना के अधिकार के बारे में सूचना दी गई थी एवं ५४ आवेदन तैयार किए गए थे। इसी तरह से राजस्थान में जोधपुर जिला में लूणी तालुका में सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में २ शिविर आयोजित किए गए थे। उसमें ३१ लोगों को इस बारे में सूचना दी गई थी एवं इसमें १२ आवेदन तैयार किए गए थे।

(घ) क्षमता निर्माण

राजस्थान में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन युनिवर्सिटी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडीपी), 'इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान' - जयपुर एवं 'उन्नति' के संयुक्त प्रयासों द्वारा पंचायतों के लिए बहुपक्षीय तालीम की मध्यस्थता की गई है। इसके अंतर्गत सूचना के अधिकार के बारे में 'स्वराज अपडेट' नामक एक त्रिमासिक प्रकाशित किया जाता है एवं राज्य की तमाम पंचायतों में भेजा जाता है। २३-२४ दिसम्बर, २००८ के दौरान पाली जिला में रोहित तालुका में ग्राम सेवकों एवं सरपंचों के लिए एक अभिमुखता कार्यक्रम आयोजित किया था। उसमें ५१ सहभागियों ने भाग लिया था। इस प्रकार की तालीम में यह आखरी कार्यक्रम था। पश्चिम राजस्थान के चार जिलों में ग्राम पंचायतों को प्राप्य हार्डवेयर के लिए एक स्थिति दर्शक रिपोर्ट तैयार की गई थी। पंचायतों के क्षमता निर्माण के बारे में प्रश्न की चर्चा करने के लिए आयोजित एक परिसंवाद में २०९ तालुका विकास अधिकारियों ने भाग लिया था।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के एवं महिला नेताओं के मंडलों को गुजरात में तीन तालुकों में एवं राजस्थान में एक तालुका में प्रोत्साहन दिया गया है। वे इस प्रश्न के निवारण के लिए विविध हितधारकों के साथ चर्चा-विचारणा करते हैं। गुजरात पंचायत अधिनियम में तीनों स्तर की पंचायतों में पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए सामाजिक न्याय समितियों की अनिवार्य रूप से रचना की विशिष्ट सिफारिश की गई है। २००२ में इन समितियों ने सक्रिय बनाने का एक अभियान शुरू किया गया था। यद्यपि, सामाजिक न्याय के प्रश्न को समितियां पहचानें एवं हल करें इसके लिए उन्हें मदद करने की जरूरत पता चली थी। सामजिक न्याय के प्रश्न न्याय की व्यवस्थाओं के बारे में २०.३.०९ को तालुका स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई थी। इससे पहले ब्लॉक स्तर की चार कार्यशालाएं आयोजित की गई थी। राजस्थान के नागरिकत्व एवं शासन विषय के बारे में ९ से ११ दिसम्बर २००८ के दौरान जोधपुर में प्रशिक्षकों की तालीम आयोजित की गई थी। उसमें १५ संगठनों में से २० पुरुषों एवं ६ महिलाओं सहित कुल २६ लोगों ने भाग लिया था। ४ से ७ फरवरी, २००९ के दौरान नागरिकत्व एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में प्रशिक्षकों की तालीम में गुजरात के १२ संगठनों में से २४ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

शहरी शासन

गुजरात में चार शहरों के लिए सिटी टेकनिकल एडवाइजरी ग्रुप (सीटीएजी) एवं सिटी टेक्निकल वोलन्टियर्स कोर्प्स (सीवीटीसी) की स्थापना के लिए जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन के अंतर्गत 'उन्नति' एक प्रमुख गैर-सरकारी संगठन के रूप में काम करता है। इस संदर्भ में सूरत में १९.१.०९ को हितधारकों की एक परामर्श सभा आयोजित की गई थी। उनमें महा नगरपालिकाओं, गैर-सरकारी संगठन, विद्वान, व्यावसायिक समूहों एवं समुदायों तथा एनटीएजी/एसटीएजी के सदस्यों सहित २०० से अधिक लोग उपस्थित थे। गुजराती एवं अंग्रेजी अखबारों के ६ पत्रकारों ने शहरी शासन में लोगों की सहभागिता के बारे में मामलों का दस्तावेजीकरण करने के लिए एवं शहरी गरीबों के साथ संबंधित विशिष्ट प्रश्नों को समेट लेने के लिए छात्रवृत्तियां दी गई थी ।

राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन के अंतर्गत छोटे एवं मध्यम नगरों के लिए दो योजनाएं झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में आवास एवं बुनियादी सेवाएं देने के लिए चलाई हैं। सामान्य रूप से शहर के विकास के लिए जो बड़ी योजनाएं तैयार की जाती हैं उनमें गरीब झोंपड़ावासी दृश्यमान नहीं होते एवं उनकी अवगणना की जाती है। गुजरात में १० नगरों में इन योजनाओं के अमल के बारे में एवं अमल की प्रक्रिया को समझने के बारे में एक अध्ययन हाथ में लिया गया था। मिशन के बारे में अभिमुखता देने के लिए १० गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए २१.२.०९ को एक तालीम का आयोजन किया गया था।

२३ से २७, २००९ के दौरान सिटीजन रिपोर्ट कार्ड के बारे में शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले गैर-सरकारी संग नों के २१ सहभागियों के लिए एक तालीम का आयोजन किया गया था। बेंगलूरु के 'पब्लिक अफेयर्स सेन्टर' (पीएससी) द्वारा इस तालीम में सहयोग दिया गया

था। जामिया मिलिया इस्लामिया एवं उन्नति द्वारा संयुक्त रूप से ८ से १० दिसम्बर, २००८ के दौरान नई दिल्ली में कन्टूर्स ऑफ मिडिया गवर्नेन्स के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन किया गया था। । इस परिसंवाद में संचार माध्यमों के बारे में वैश्विक नीति का सीमांकन किया गया था एवं शासन के एक भाग के रूप में मीडिया के शासन तंत्र को देखने का प्रयत्न किया गया था।

२. सामाजिक समावेश एवं सशक्तिकरण

(क) दलित एवं महिला अधिकार

पश्चिम राजस्थान के तीन जिलों में ११ दलित संसाधन केन्द्रों द्वारा दलितों के अधिकारों संबंधी प्रयास किए गए हैं। गाम स्तर पर लोगों की संस्थाओं के रूप में २४८ गांवों में पुरुषों एवं महिलाओं की समितियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इन समितियों में से २२ तालुका स्तर की समितियां बनाई गई हैं। इन संस्थाओं के दलितों एवं महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के १६ मामले उठाए थे। असर ग्रस्तता को सलाह देने के संदर्भ, कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करने के संदर्भ में एवं प्रशासन तंत्र द्वारा दबाव लाने के संदर्भ में उसे सहायता दी गई थी। इस मामले में ३४ बीघा जमीन पर अतिक्रमण के चार मामलों एवं भेदभाव के दो मामलों का समावेश होता है। 'दलित अपडेट' द्विमासिक के दो अंक प्रकाशित किए गए हैं उसमें सरकारी योजनाओं एवं जमीन की मालिकी संबंधी प्रश्न तथा महिलाओं संबंधी प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

१५.०३.२००९ को जोधपुर में वकीलों एवं पत्रकारों की एक बैठक दलितों एवं महिलाओं के अधिकारों के प्रश्न तथा विकास के साथ उनके संबंधों के बारे में उसने संवेदनशील बनाने के लिए आयोजित की गई थी। जनवरी २००९ में तालुका स्तर पर ३ बहुहितधारक संवाद का आयोजन था। उसमें १९६ सरकारी अधिकारी, निर्वाचित प्रतिनिधि, पत्रकार, वकील एवं दलित समुदाय के नेता उपस्थित थे। इन्डियन इन्स्टिट्युट फॉर पैरालिगल स्टडीज - अहमदाबाद साथ के सहयोग में पैरालीगल का दूसरा बैच तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। उसके प्रथम दौर की तालीम जोधपुर में १९ से २१, २००९ के दौरान आयोजित की गई थी जिसमें १० महिलाओं सहित ३० कर्मशीलों ने भाग लिया था।

(ख) स्त्री-पुरुष सामाजिक भेदभाव

पश्चिम राजस्थान में महिलाओं के भू-स्वामित्व के मुद्दे पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। २४-२५ मार्च, २००९ को उन्नति एवं ओक्सफाम इन्डिया ट्रस्ट तथा उसके सहभागी संगठनों के संयुक्त उपक्रम से आयोजित इस सम्मेलन में ४५० महिला नेताओं ने भाग लिया था। इस संगठन आई.आर.डी.पी. प्रोजेक्ट में अधिनियम एक वर्ष से काम करता है। लूणी तालुका के १५ गांवों में 'विशाखा' - जयपुर के सहयोग थी एक जागृति शिविर आयोजित किया गया था। फरवरी-मार्च, २००९ के दौरान आयोजित इन बैठकों में पुरुषों को सामाजिक भेदभाव के बारे में संवेदनशील बनाया था। जोधपुर में दो युनिवर्सिटियों में विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शालाओं के विद्यार्थियों के साथ संवाद भी आयोजित किया गया था।

(ग) जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन

जनवरी-२००९ में कच्छ में मुसा एवं वांढ में कौशल वर्धन एवं उत्पादन के बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें ३८ महिलाओं ने भाग लिया था। उसमें कपड़े की डिजाइन, पोत एवं भात के बारे में उनकी समझ पैदा करने के लिए प्रयत्न किया गया था।

३. विपत्ति जोखिम घटाने के सामाजिक निर्धारक

पश्चिमी राजस्थान में सार्वजनिक संपत्ति संसाधन की स्थिति को समझने के बारे में एक अध्ययन हाथ में लिया गया था। २३-२४ जनवरी, २००९ के दौरान जयपुर में राज्य स्तर की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। वह उन्नति, अलवर की क्रपाविश, जयपुर की जीवीएनएमएल, जयपुर की सेन्स, भीलवाड़ा की एफईएस एवं ओक्सफाम इन्डिया ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप में आयोजित की गई थी। उसका

इरादा सामूहिक समझ पैदा करने का था। उसमें २८ संगठनों में से २२ सहभागी हाजिर थे। बाड़मेर एवं जोधपुर जिलों की जिला विपत्ति संचालन योजनाओं की समीक्षा की गई थी एवं उसका विश्लेषण किया गया था। ०७.०१.२००९ एवं ०३.०३.२००९ के दौरान आयोजित विमर्श सभाओं में उसके निष्कर्षों को पेश किया गया था। राजस्थान के सिणधरी तालुका के डाबर भातीयां गांव में विपत्ति जोखिम का सामूदायिक सीमांकन किया गया था। गुजरात में भचाउ तालुका के नेर एवं बनियारी गांवों में समुदाय आधारित विपत्ति जोखिम कम करने की योजनाएं तैयार करने के लिए इसी तरह की कवायद की गई थी। भचाउ में २४-२५ मार्च, २००९ के दौरान विकासलक्ष्यी कार्यक्रमों में विपत्ति जोखिम कम करने के अभिगम को मुख्य धारा में लाने के लिए एक क्षेत्रीय विमर्श सभा आयोजित की गई थी जिसमें ४५ सहभागी हाजिर थे। १८ गैर-सरकारी संगठनों के साथ संगठनात्मक स्तर पर विपत्ति के सामने की तैयारी के लिए स्वमूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की गई थी एवं परामर्श सभा के दौरान उसके परिणामों का आदान-प्रदान किया गया था ।

पश्चिमी राजस्थान अकाल संभावित क्षेत्र है एवं वहां दलितों तथा असहाय समुदाय पानी की कमी का सामना करते हैं। बाडमेर जिला के सिणधरी तालुका में २८ परिवारों को १२ व्यक्तिगत एवं दो सामुदायिक जलसंग्रह व्यवस्था तैयार करने के लिए सहायता दी गई थी। ७७ गरीब परिवारों को पानी देने के लिए टंकी के साथ एक ट्रेक्टर रियायती दर पर दिया गया था।

पिछले वर्ष के दौरान जोधपुर एवं बाडमेर जिले के पांच तालुकों के ३८ एवं सीमांत किसानों के साथ बागायत एवं गौचर की जमीन के विकास के लिए कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी ताकि असहाय समुदायों के लिए घासचारा की सुरक्षा पैदा हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पानी के संग्रह के लिए टंकियां भी बनाई गई एवं ३८ जमीन के प्लोट के रखरखाव के लिए नियमित सहायता दी गई। जंतुनाशक दवाओं का वितरण भी किया गया। सेवा-वीमो के सहयोग से ४१ परिवारों को ने बीमा के साथ जोड़ा गया। स्वास्थ्य के ८ एवं मृत्यु के २ दावों को नोट कराया गया एवं उसमें से स्वास्थ्य के ६ एवं मृत्यु के १ बीमा दावों को स्वीकार किया गया है ।

भचाउ के खरोल वांढ बन्नी क्षेत्र के पशुपालक समुदाय का गांव है। अलग-थलग क्षेत्र की इस बस्ती को राजस्व गांव के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है जिसके कारण वहां ढांचागत सुविधाओं का अभाव है। समुदाय आधारित विपत्ति जोखिम कमी के आयोजन की कवायद के दौरान इस वांढ में लोगों को बहुद्देशीय सामुदायिक केन्द्र स्थापित करने के लिए हमने रुचि दिखाई थी एवं उन्होंने उसमें श्रमदान किया था। यह केन्द्र बन गया है एवं समुदाय द्वारा ही उसे चलाया जाता है। सरकार ने वांढ में एक आंगनबाड़ी एवं एक बाल मंदिर की शुरूआत की है।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

खसरा नं. 650, राधाकृष्णपुरम, लहेरिया रिसोर्ट के पास, पाल-चौपासनी बाई पास लिंक रोड, जोधपुर, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 98251-56402

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।